एम. जैन

परमजीत सिंह से पहले, जे के समक्ष ।

लाल सिंह @ मनजीत सिंह—*याचिकाकर्ता*

बनाम

गुजरात राज्य अन्य-उत्तरदाता

सीआरडब्ल्यूपीएनओ। 2011 की 1620

अगस्त 23,2012

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 21, 72, 161 और 226 - आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1987 - धारा 3(3) और 5 - भारतीय दंड संहिता, 1860-S. 54, 55, 55A &120-B - दंड प्रक्रिया संहिता, 19 73 - Ss. 432 से 433A - शस्त्र अधिनियम, 1959 - धारा 25 - पंजाब जेल मैनुअल, 1996 - बॉम्बे जेल मैनुअल, 1945 - बॉम्बे जेल नियम, -आरआई। 1446 - कारागार नियम, 1999 - कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम, 1882 - - मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, !948 -अनुच्छेद 5 - पंजाब राज्य में कारागारों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की समयपूर्व रिहाई, पंजाब जेल मैनुअल के तहत राज्य द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड की सलाह पर - यदि सलाहकार बोर्ड सरकार को कैदियों को सामान्य स्थिति में समय से पहले रिहा करने की सलाह देता है तो राज्य सिफारिशों को स्वीकार करता है और कैदियों को समय से पहले रिहा करता है- सवाल यह है कि क्या ऐसा है लाभ राज्य के बाहर के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराए गए याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध होगा, लेकिन पंजाब राज्य में स्थानांतरित किया जाएगा - यह माना गया कि यदि कार्रवाई का कारण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उच्च न्यायालय के

क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है, तो यह अधिकार क्षेत्र के भीतर निवासी किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के खिलाफ रिट जारी कर सकता है

चूंकि याचिकाकर्ता पंजाब राज्य में सजा काट रहे हैं और समयपूर्व रिहाई की अस्वीकृति के आदेश पंजाब के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर भी प्राप्त हुए थे, इसलिए इस न्यायालय के पास याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है- याचिका निर्देशों के साथ निपटाई गई।

(ख) सीआरपीसी की धारा 432 की उपधारा (7) और भारतीय दंड संहिता की धारा 55क को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि "उपयुक्त सरकार" उस राज्य की सरकार है जिसके भीतर अपराधी को सजा दी जाती है।

(पैरा 33)

इसके अलावा, यह निर्णय दिया गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 161 अवशिष्ट संप्रभु शक्ति की प्रकृति का है जो याचिका की अस्वीकृति पर समाप्त नहीं होता है। संविधान के प्रावधान बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर राज्यपाल को याचिका पर पुनर्विचार करने से नहीं रोकते हैं। समयपूर्व रिहाई विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत दी गई छूट और संबंधित राज्य/राज्यों, जहां किसी को सजा हो रही है, के जेल मैनुअल के प्रावधानों के तहत अर्जित छूट, कुछ अवसरों पर सरकार द्वारा पारित समयपूर्व रिहाई का कोई सामान्य आदेश और कैदियों पर उचित समय पर उन आदेशों की प्रयोज्यता और निरंतर अच्छे आचरण जेल में रहते हुए दोषी का।

(पैरा 38)

आगे कहा गया, कि हर बार जब एक दोषी कैदी छूट अर्जित करता है तो कैदी के लिए कार्रवाई का नया कारण उठता है। इसलिए याचिकाकर्ता को समयपूर्व रिहाई के अपने अधिकार के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। हर बार जब एक ही व्यक्ति को दी गई छूट कार्रवाई का कारण याचिका के लिए अर्जित होती है। इसके अलावा, एस्टॉपेल का सिद्धांत समयपूर्व रिहाई के मामलों में लागू नहीं होगा क्योंकि समय-समय पर समान रूप से स्थित व्यक्तियों को दी गई क्षमा, प्रतिशोध, राहत या छूट कार्रवाई के नए कारण को जन्म देती है। पहले के आदेश के खिलाफ याचिका को खारिज करना नई याचिका दायर करने के लिए रोक के रूप में काम नहीं करता है और न ही कार्रवाई के नए कारण उत्पन्न होने पर नई याचिका दायर करने के लिए एस्टोपेल के रूप में कार्य करता है।

(पैरा 39)

आगे कहा गया कि चूंकि याचिकाकर्ताओं को पंजाब राज्य के भीतर अधिकतम सुरक्षा जेल, नाभा में बंद कर दिया गया है और पंजाब में याचिकाकर्ता को अस्वीकृति के आदेश से भी अवगत करा दिया गया है, इसलिए, इस न्यायालय के पास याचिका सुनने का अधिकार क्षेत्र है। स्वतंत्रता का उनका अधिकार शामिल है जिसे वे अपने निवास के क्षेत्र पर सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में लागू कर सकते हैं। इस मामले में दायर पूर्व में दायर याचिकाओं पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और उन पर विचारण किया गया है और गुजरात/उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लिया है, अन्यथा भी याचिका दायर करने वालों के लिए कार्रवाई का कारण पंजाब राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ क्योंकि वे वर्तमान में अधिकतम सुरक्षा जेल, नाभा में बंद हैं।

(पैरा 43)

आगे कहा गया कि अनुच्छेद 226 (2) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि कार्रवाई का कारण, पूरी तरह या आंशिक रूप से, उस उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है, तो यह किसी अन्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर निवासी किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के खिलाफ एक रिट जारी कर सकता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता (ओं) के लिए कार्रवाई का कारण आंशिक रूप से पंजाब राज्य के भीतर उत्पन्न हुआ है क्योंकि वे पंजाब राज्य में सजा काट रहे हैं और समय से पहले रिहाई की अस्वीकृति के आदेश भी इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर प्राप्त हुए थे। इसलिए, यह माना जाता है कि इस न्यायालय के पास इस याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।

(पैरा 44-45)

आगे कहा गया, कि रिहाई की किसी भी उम्मीद के बिना एक कैदी को कैद करना अधिक बर्बर है। यह मौत की सजा का दूसरा रूप है। जेल में पूरे जीवन के लिए शेष की सजा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कथित अपराध के लिए आनुपातिकता के सिद्धांत को संतुष्ट नहीं कर सकती है। हर उम्रकैद की सजा में रिहाई की संभावना शामिल होनी चाहिए। मनुष्य को शेष प्राकृतिक जीवन (आजीवन कारावास) के लिए सलाखों के पीछे जीवित रखना मृत्यु से भी बदतर है।

(पैरा 48)

आगे कहा गया, कि एक कैदी एक स्वतंत्र नागरिक द्वारा प्राप्त सभी अधिकारों को बरकरार रखता है, केवल उन लोगों को छोड़कर जो कारावास की घटना के रूप में आवश्यक रूप से खो गए हैं।

(पैरा 72)

आगे कहा गया, कि एक बर्बर अपराध को एक बर्बर दंड के साथ पूरा नहीं किया जाना चाहिए जो उस व्यक्ति के मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है जो महसूस कर सकता है कि वह कभी भी जेल से बाहर नहीं होगा। उचित निर्धारण जिन अपराधों में आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाता है, उनके संबंध में कारावास की अवधि एक आवश्यकता है और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित सजा निर्धारित

करने के लिए उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता है। इस न्यायालय को लगता है कि यह विधायिका का प्राथमिक दायित्व है कि वह उन मामलों में आवश्यक संशोधन करे जहां उम्रकैद का प्रावधान किया जाता है ताकि दोषी/कैदी को यह पता चल सके कि उसे जेल में कितनी अवधि काटनी है।

(पैरा 82)

आगे कहा गया कि यह अच्छी तरह से तय है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा क्षमादान शक्ति का प्रयोग या गैर-प्रयोग न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षा नहीं है। कुछ मामलों में सीमित न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है।

(पैरा 84)

आगे कहा गया कि अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश की न्यायिक समीक्षा, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध है और उनके आदेशों को निम्नलिखित आधारों पर लागू किया जा सकता है:

(अ) कि आदेश बिना दिमाग लगाए पारित किया गया है;

(आ) कि आदेश दुर्भावनापूर्ण है;

(इ) आदेश बाहरी या पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों पर पारित किया गया है;

(ई) कि आदेश में मनमानी की गई है

(पैरा 96)

आगे कहा गया कि आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार उपकरणों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, जिन पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। सरकारें कारण बताने या कारण बताने में विफल रहीं, जिसके आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किए गए हैं। न्यायिक समीक्षा न्यायालय की शक्ति, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, को समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज करने के निष्कर्ष पर आने के कारण का खुलासा न करके अक्षम नहीं किया जा सकता है।

याचिका की अनुमति दी।

विजय के. जिंदल, एडवोकेट^/बी?' *याचिकाकर्ता)*

मनीषा लवकुमार शाह, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए (2011 का InCrl.W.P.No.l620)

प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के लिए एम.सी. (2011 के Crl.W.P. No.1586 में

जे.एस. भुल्लर, ए.ए.जी., पंजाब, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के लिए।

परमजीत सिंह, जे.

(एक) इस न्यायालय को पंजाब, हरियाणा और संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र, चंडीगढ़ राज्यों की विभिन्न जेलों में कैदियों से समयपूर्व रिहाई के लिए नियमित रूप से याचिकाएं प्राप्त हो रही हैं। तात्कालिक याचिकाओं में, उठाए गए प्रश्न आम हैं; इसलिए, मैं एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाने का प्रस्ताव करता हूं। सामान्य मुद्दा पंजाब जेल मैनुअल के तहत राज्य द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड की सलाह के आधार पर पंजाब राज्य की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे याचिकाकर्ताओं की समयपूर्व रिहाई का दावा है। यदि राज्य का सलाहकार बोर्ड राज्य सरकार को कैदियों को सामान्य स्थिति में समय से पहले रिहा करने की सलाह देता है तो राज्य उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लेता है और कैदियों को समय से पहले रिहा कर देता है। वर्तमान याचिकाओं में प्रश्न यह है कि क्या यह लाभ उन याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध होगा जिन्हें राज्य के बाहर के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया था लेकिन पंजाब राज्य को हस्तांतरित किया गया था। दोनों याचिकाओं में यह मुद्दा उठाया गया है।

(दो) 2011 की सीआरएल रिट याचिका संख्या 1620 में, याचिकाकर्ता-कैदी को अहमदाबाद (ग्रामीण) में नामित न्यायाधीश, मिर्जापुर की अदालत द्वारा आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (इसके बाद "टाडा अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 (3) और 5 के तहत आजीवन कारावास, धारा 120-बीआईपीसी के तहत दस साल आरआई के लिए और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत 7 साल आरआई के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे 1987 राज्य में जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था (i) कैदियों के स्थानांतरण अधिनियम, 1950 के तहत पंजाब

(तीन) 1 201 के 1 में, याचिकाकर्ता-कैदी को पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा टाडा अधिनियम की धारा 3 के तहत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई और टाडा अधिनियम आरआई की धारा 4 के तहत 5 साल के लिए और धारा 120-बी आईपीसी के तहत आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और जेल में स्थानांतरित कर दिया गया

कैदियों के स्थानांतरण अधिनियम, 1950 के तहत पंजाब राज्य में 10000 किमी की दूरी पर कैदियों के स्थानांतरण के लिए एक मामला दर्ज किया गया है। दोनों ही सहजता में। पंजाब राज्य के सलाहकार बोर्ड ने क्रमश गुजरात राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से याचिकाकर्ताओं की समयपूर्व रिहाई की सिफारिश की है।

(चार) संक्षिप्तता के लिए, 2011 के सीआरएलआर संख्या 1620 से संक्षिप्त तथ्य लिए जा रहे हैं जो निम्नानुसार हैं: -

(पाँच) वर्तमान मामले में 21 आरोपियों पर निचली अदालत द्वारा संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया था कि उन्होंने 13 नामजद फरार आरोपियों और कुछ अज्ञात सिख आतंकवादियों के साथ मिलकर भारत में विध्वंसक और आतंकवादी गतिविधियों के लिए भारत और विदेश में साजिश रची और सितंबर 1990 से जुलाई 1992 के बीच हिंसक तरीकों से खालिस्तान के निर्माण और जम्मू-कश्मीर को आजाद कराने में मदद की। उनके खिलाफ आरोप थे कि वे गुदा को भारत लाए और गैरकानूनी विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त रहे, कश्मीर की आजादी और खालिस्तान के निर्माण के लिए लाहौर में संगठन बनाया। उन्होंने भाजपा/हिंदू नेताओं/पुलिस अधिकारियों को खत्म करने के लिए हिंसक तरीकों से आतंक फैलाने के लिए कुछ भगोड़ों के साथ साजिश रची थी और इस उद्देश्य के लिए आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद और विस्फोटक खरीदे थे। ऐसे कई अन्य आरोप हैं जो प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि याचिकाकर्ता को 16.07.1992 की सुबह दादर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था, जब वह एक ट्रेन से उतर रहा था। केवल आरोप षडयंत्र आदि और कुछ हथियारों की बरामदगी से संबंधित है। याचिकाकर्ता लाल सिंह @ मंजीत सिंह के खिलाफ कोई आरोप नहीं है कि उसने कोई हत्या की या कोई अन्य कार्य किया।

(छः)याचिकाकर्ता को पूर्वोक्त के रूप में दोषी ठहराया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उसकी अपील विफल हो गई थी, दोषी ठहराए जाने के बाद, याचिकाकर्ता को पंजाब राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था और अधिकतम सुरक्षा जेल, नाभा में बंद कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने निम्नानुसार सजा सुनाई है:

	वाई	एम	डी
विचाराधीन परीक्षण के रूप में व्यतीत अवधि	4	2	30
दोषसिद्धि के बाद हिरासत में बिताया गया समय डब्ल्यू.सी.एफ. 8.1.1997 से 28.5.2011	14	4	20
कुल वास्तविक सजा हुई	**18**	7	**20**

निरंतर अच्छे आचरण और कर्तव्यों के संतोषजनक प्रदर्शन के कारण जेल अधिकारियों द्वारा दी गई छूट

	2	11	7
छूट सहित कुल सजा	21	6	27
पैरोल के कारण कम	1	9	0
समय से पहले रिहाई के उद्देश्य से दी गई कुल सजा	**19**	**9**	**17**

(सात) उसके बाद जेल में बिताई गई अवधि के तहत सजा की उपरोक्त अवधि में भी 28-05-2011 से आज की तारीख तक जोड़ा जाना है।

(आठ) याचिकाकर्ता का यह मामला है कि उसे 20/21 मौकों पर पैरोल/फरलो पर रिहा किया गया था। उसने पैरोल के दौरान कोई अपराध नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने अपने कारावास के दौरान जेल में अच्छा आचरण बनाए रखा और कभी भी पैरोल और फरलो अवधि का उल्लंघन नहीं किया। वर्तमान में याचिकाकर्ता अधिकतम सुरक्षा जेल, नाभा में सजा काट रहा है। समयपूर्व रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर पंजाब सरकार द्वारा पंजाब जेल मैनुअल, 1996 के अनुसार विचार किया गया था और गुजरात राज्य को सिफारिश की गई थी। केन्द्रीय जेल अधीक्षक ने दिनांक 10.02.2004 को एक पत्र लिखा (अनुबंध पी/4), जिसमें अधिकतम सुरक्षा जेल, नाभा को निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे: -

> *"उपरोक्त नामित दोषी की समय से पहले रिहाई की प्रक्रिया में दिनांक 19.1.2004 के पत्र के संबंध में, आपको पैरोल को छोड़कर वास्तविक सजा के 13 साल पूरे होने के बाद उक्त दोषी की समयपूर्व रिहाई के बारे में उनकी राय के लिए संबंधित जिले के जिला पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को समय से पहले रिहाई का प्रस्ताव भेजना होगा। फर्लो, छुट्टी और सेट ऑफ अवधि सहित। फिर, कृपया उक्त दोषी की पूरी जेल रिपोर्ट को निचली अदालत के फैसले की प्रति, मूल इतिहास टिकट के साथ उसकी रिहाई की संभावित तारीख से 6 महीने पहले भेजें, जिस दिन वह जेल में अपनी 14 साल की वास्तविक सजा पूरी करेगा, आवश्यक कार्रवाई के लिए इस केंद्रीय कारागार को भेजें।*

(नौ) नाभा के अधीक्षक जेल ने कपूरथला के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक पत्र (अनुलग्नक पी/5) भेजा और रिपोर्ट मांगी. इसके बाद, अधीक्षक जे, नाभा ने समय से पहले रिहाई के उद्देश्य से याचिकाकर्ता का रोल प्रस्तुत किया और उसकी रिहाई की सिफारिश की अनुबंध पी/6। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कपूरथला ने दिनांक 28.07.2006 के पत्र (अनुबंध पी/7) में विशेष रूप से निम्नानुसार उल्लेख किया है:

> *जांच के बाद यह पाया गया कि लाल सिंह उर्फ मंजीत सिंह पुत्र भाग सिंह, जाति सैनी, निवासी*

अकालगढ़, पीएस सदर, फगवाड़ा, जो वर्तमान में नाभा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, ने सजा काटने के दौरान छह मौकों पर पैरोल का आनंद लिया और शांति भंग किए बिना वापस आत्मसमर्पण कर दिया। गांव के किसी भी निवासी को आजीवन कारावास की सजा काटने के बाद गांव में रहने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।"

(दस) जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, अहमदाबाद ने दिनांक 26.10.2006 (अनुबंध पी/8) एक पत्र भेजा और सूचित किया कि याचिकाकर्ता की समयपूर्व रिहाई के मामले पर गुजरात सरकार द्वारा विचार किया गया था और उसे अस्वीकार कर दिया गया है। इसके खिलाफ, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष 2007 का सीआरएलडब्ल्यूपी संख्या 505 दायर किया, जिसे 2 5.08.2008 (अनुलग्नक पी/9) को निपटा दिया गया। निर्णय का ऑपरेटिव हिस्सा निम्नानुसार है: -

"जे ने पार्टियों के लिए विद्वान वकील को सुना है। इस याचिका का निपटारा प्रतिवादी नंबर 3 को याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई के मामले पर पुनर्विचार करने के निर्देश के साथ किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है: -

अ) कैदियों के स्थानांतरण अधिनियम की धारा 3 के तहत याचिकाकर्ता के अधिकार।

आ) पंजाब जेल मैनुअल के पैरा 431, हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह, 2007 (4) बीसीआर (आपराधिक) 909 (प्रतिलिपि अनुलग्नक पी-8) के फैसले के मद्देनजर पंजाब जेल मैनुअल, जे 996 के पैरा 431 के आलोक में याचिकाकर्ता के अधिकार;

इ) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A की प्रयोज्यता;

ई) हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह, 2007 (4) आरसीआर (आपराधिक) 909 और यूटी चंडीगढ़ बनाम चरणजीत कौर, जेटी, 1996 (3) एससी 30 (अनुबंध पी-9 की प्रति) में निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का प्रभाव"

(ग्यारह) इसकी सूचना अहमदाबाद के केंद्रीय जेल के अधीक्षक को दी गई। गुजरात सरकार ने याचिकाकर्ता के मामले पर पुन विचार किया है और 30.12.2010 (अनुबंध पी/1) को खारिज कर दिया है और निम्नलिखित आदेश पारित किया है: -

"आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति की समय पूर्व रिहाई से पहले राज्य सरकार ने एआईआर 2000 एससी 2762 में रिपोर्ट किए गए लक्ष्मण नस्कर बनाम बंगाल राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निम्नलिखित दिशानिर्देशों पर विचार किया है:

(अ) क्या अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किए बिना अपराध का एक व्यक्तिगत कार्य है: - इस मामले में अपराध अपराध का एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है, लेकिन

वे बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करते हैं।

(आ) क्या इस दोषी को अब और कैद करने का कोई सार्थक उद्देश्य है: - हां

(इ) क्या भविष्य में अपराध करने की पुनरावृत्ति की कोई संभावना है - हां, सरकार को अहमदाबाद पुलिस से पुलिस की नकारात्मक राय प्राप्त हुई है।

(ई) दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति :- कैदी कई गंभीर अपराधों में शामिल है।

(बारह) उस आदेश को 2011 के सीआरएल डब्ल्यूपी संख्या 158 के माध्यम से इस न्यायालय में फिर से चुनौती दी गई थी और उस याचिका में, गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने बार में कहा था कि याचिकाकर्ता पहले ही बॉम्बे/पंजाब जेल मैनुअल के अनुसार उस पर लगाई गई सजा काट चुका है। न्यायालय ने दिनांक 25-05-2011 के आदेश के तहत गुजरात सरकार को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले पर पुनवचार करने का निदेश दिया और यह भी आदेश दिया कि जब तक याचिकाकर्ता की समयपूर्व रिहाई के मामले पर गुजरात सरकार द्वारा निर्णय नहीं कर लिया जाता है, तब तक उसे जिला मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए उसके व्यक्तिगत मुचलके और ज़मानत बांड प्रस्तुत करने पर पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा। कपूरथला-पंजाब क्योंकि वह स्थायी निवासी है तहसील फगवाड़ा, जिला कपूरथला का। याचिकाकर्ता को यह वचन देने का निर्देश दिया गया था कि (i) वह गुजरात का दौरा नहीं करेगा; (ii) वह न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा; और (iii) शांति बनाए रखेगा और करेगा ।पैरोल पर रहते हुए किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल न हों।

(तेरह) तत्पश्चात् दिनांक 25.05.2011 के आदेश (संलग्न) के अनुसरण में (ख) इस न्यायालय द्वारा पारित पी/एल 2 के मामले में गुजरात सरकार ने पुन विचार किया समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के मामले में और इसे अस्वीकार कर दिया आक्षेपित आदेश दिनांक 26.07.2011 (अनुबंध पी/एल 3)।

(चौदह) इसलिए, आपराधिक रिट याचिका प्रस्तुत करें।

(पंद्रह) इस न्यायालय ने संबंधित राज्य को प्रस्ताव की सूचना जारी की मैं सरकारों और उन्होंने अपने-अपने जवाब दाखिल किए। पंजाब राज्य 11 प्रतिवादी संख्या 3 और 4 की ओर से जवाब दायर किया और समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिश के संबंध में कथनों को काफी हद तक स्वीकार किया और पत्राचार का भी उल्लेख किया (ग) संबंधित राज्यों के बीच की जाने वाली विभिन्न श्रेणियों के बीच की जाने वाली|

(सोलह) गु
जरात राज्य ने दिनांक 22-12-2011 के शपथ पत्र के माध्यम से उत्तर दायर किया। जवाब में, यह कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 याचिका में उठाए गए किसी भी आरोप, कथन और विवाद को स्वीकार नहीं कर रहा है और

सभी आरोप | जिन्हें विशेष रूप से स्वीकार किया गया है, को छोड़कर इनकार कर दिया। प्रारंभिक उत्तर के साथ था मैं

अंतरिम रिहाई के संबंध में, हालांकि, बाद में इसने एक और हलफनामा दायर किया |

(घ) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में दिनांक 28022012 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से एक मामला दर्ज किया गया है। शपथ पत्र में, यह प्रस्तुत किया गया है कि गुजरात सरकार उपयुक्त सरकार है जो दोषी की समयपूर्व रिहाई के संबंध में निर्णय ले सकती है- याचिकाकर्ता, जिसे के क्षेत्र के भीतर स्थित एक अदालत द्वारा सजा सुनाई गई थी; गुजरात सरकार। गुजरात सरकार के नियम, विनियम और कैदी |

सजायाफ्ता-याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई के लिए नियम लागू होते हैं। प्रावधानों ;

(ग) पंजाब जेल नियमावली लागू नहीं होती है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पहले याचिकाकर्ता ने अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय में समय से पहले रिहाई के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसे 29.10.2009 को खारिज कर दिया गया था। इसलिए, इसके बाद कोई याचिका दायर नहीं की जा सकती है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि दोषियों की समय से पहले रिहाई के संबंध में सरकार द्वारा पारित आदेश की न्यायिक समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। यह राज्य सरकार का विशेषाधिकार है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत प्रयोग योग्य है और राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से आदेश पारित किया जाता है।

यह भी दलील दी गई है कि आजीवन कारावास का मतलब दोषी का प्राकृतिक जीवन है।

(सत्रह) याचिकाकर्ता ने हलफनामे पर प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत किया।

(अठ्ठारह) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(उन्नीस) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि पंजाब जेल मैनुअल के प्रावधान लागू होते हैं क्योंकि याचिकाकर्ता को कैदियों के स्थानांतरण अधिनियम, 1950 के अनुसार पंजाब राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। यदि गुजरात सरकार का आदेश अवैध, मनमाना और कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है, तो दोषी उस आदेश को चुनौती दे सकता है और इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता पंजाब राज्य के क्षेत्र के भीतर कारावास की सजा काट रहा है और समय से पहले रिहाई के लिए उसके मामले की सिफारिश पंजाब राज्य द्वारा की गई थी। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि दोनों राज्यों के जेल नियमों यानी गुजरात और पंजाब जेल मैनुअल में लागू बॉम्बे जेल मैनुअल के अनुसार, याचिकाकर्ता समय से पहले रिहाई का हकदार बन गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने सीआरएल डब्ल्यूपी में गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के वकील के बयान का संदर्भ दिया। 2011 की संख्या 158 कि याचिकाकर्ता पहले ही बॉम्बे/पंजाब जेल नियमावली के अनुसार उस पर लगाई गई सजा काट चुका है और पंजाब सरकार की समय से पहले रिहाई की सिफारिश बाध्यकारी है क्योंकि उसके आचरण को पंजाब राज्य के अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से देखा जाता है जब

जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कपूरथला, जिस क्षेत्र से याचिकाकर्ता संबंधित है, ने समय से पहले रिहाई की सिफारिश की है और याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं कहा गया है। सजा की अवधि पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता को पूरे जीवन के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। यह मौत से भी बदतर सजा होगी। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपनी दलीलों का समर्थन करने के लिए विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है, जिन्हें तर्कों से निपटने के दौरान निपटाया जाएगा।

(बीस) गुजरात राज्य के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का जोरदार विरोध किया। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता-दोषी को रिहा करना गुजरात सरकार का विशेषाधिकार है। याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई के लिए पंजाब सरकार की सिफारिशें प्रतिवादी संख्या 1 और 2 पर बाध्यकारी नहीं हैं। केवल प्रतिवादी नंबर 1 उपयुक्त सरकार है जो समय से पहले आदेश पारित कर सकती है

निर्गमन। इस न्यायालय के पास मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और क्षेत्राधिकार गुजरात राज्य के भीतर सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत में निहित है क्योंकि याचिकाकर्ता ने पहले याचिका दायर की थी जिसे गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.10.2009 (अनुबंध R-1II) के आदेश के तहत खारिज कर दिया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत पारित राज्यपाल के आदेश की न्यायिक समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है।

(इक्कीस) पार्टियों के लिए दोनों वकीलों के तर्कों की रेखा को देखते हुए, कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न विचार के लिए उठते हैं:

१). याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई के मामले पर विचार करने के लिए कौन सा उचित सरकारी मांस है?

२) . क्या उच्च न्यायालय द्वारा समय से पहले रिहाई के लिए याचिका को पहले खारिज करना बाद की याचिकाओं को दायर करने के लिए बार और एस्टॉपेल के रूप में कार्य करता है?

३) क्या जिस उच्च न्यायालय में कैदी का स्थानांतरण किया जाता है, उसे आपराधिक रिट याचिका पर विचार करने का अधिकार है?

४) . क्या किसी दोषी को रिहा न करना मृत्युदंड से भी बदतर है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यपालिका द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण किया जाता है?

vf क्या दिनांक 26.07.2011 का आदेश (अनुलग्नक P/13) न्यायिक समीक्षा के अधीन है और मनमाना, सनकी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के खिलाफ है?

(बाईस) *प्रश्न संख्या 221 / (i): याचिकाकर्ता को समय से पहले रिहा करने के मामले पर विचार करने के लिए कौन सी उपयुक्त सरकार को अधिकार है?*

(तेईस) यह एक कैदी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि वह जेल से अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त करेगा, विशेष रूप से जब लगाई गई सजा हिरासत में दी गई सजा (आजीवन कारावास) में है। सामान्य स्थिति में रिहाई की तारीख विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत दी गई छूट और संबंधित राज्य/राज्यों की जेल नियमावली के प्रावधानों के तहत अर्जित छूट, जहां कोई सजा काट रहा है, कुछ अवसरों पर सरकार द्वारा समयपूर्व रिहाई के सामान्य आदेश

और उचित समय पर कैदियों के लिए उन आदेशों की प्रयोज्यता। बेशक, कैदियों को नियमों तक बहुत कम पहुंच है। निश्चित रूप से, वे व्यथित महसूस करते हैं। वे रिहाई के आदेश की उम्मीद कर रहे कैदियों से सुनने के बाद अपने तरीके से रिहाई के समय की गणना करते हैं। अन्य कैदी रिहाई के लिए अपने समय की गणना करना शुरू कर देते हैं और महसूस करते हैं कि उनका समय आ गया है, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है। यह आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों के मामलों में अधिक प्रचलित है, जिन्हें राज्य के बाहर न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है, लेकिन कारावास की सजा काटने के लिए दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था।

(चौबीस) इस प्रश्न की मुझे इन दोनों याचिकाओं में जांच करनी है। इन याचिकाओं का मुद्दा उन कैदियों की रिहाई से संबंधित है जिन्हें अन्य राज्यों (गुजरात और उत्तर प्रदेश) में न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध और सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में ऊपर उल्लिखित शेष कारावास काटने के लिए पंजाब राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था।

(पच्चीस) पंजाब राज्य ने कैदियों और विचाराधीन कैदियों के प्रशासन के संबंध में पंजाब जेल मैनुअल तैयार किया है। जेल मैनुअल के अनुसार, अच्छे आचरण के लिए कुछ छूट दी जाती है जो राज्य सरकार द्वारा दी गई अन्य छूटों के अतिरिक्त होती है। एक राज्य सलाहकार बोर्ड भी है जो जेलों में कैदियों की सजा की जांच करता है और रिपोर्ट देता है। बॉम्बे जेल नियमों के नियम 1446 में यह प्रावधान है कि सभी कैदियों के मामले जिनकी कुल सजा 20 साल से अधिक है, उन्हें 14 साल की सजा पूरी होने पर समयपूर्व रिहाई के सरकार के आदेशों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। सलाहकार बोर्ड कैदी के पिछले इतिहास, उसके कारागार रिकार्ड और जिला मजिस्ट्रेट तथा उस जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्टों के आधार पर रिहाई के लिए उपयुक्तता का निर्णय करता है जिससे वह कैदी संबंधित है। इन सब पर विचार करने के बाद, सलाहकार बोर्ड की सलाह पर कैदी को एक निश्चित अवधि के लिए परिवीक्षा पर समय से पहले रिहा कर दिया जाता है और उसके आचरण की रिपोर्ट संतोषजनक होने पर, उसे पर्यवेक्षण की अवधि के रूप में बांड में उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर ही अंतिम रूप से छुट्टी दे दी जाती है। यह नियमों की योजना की व्यापक रूपरेखा है। प्रत्येक राज्य में समय से पहले रिहाई के संबंध में उनके नियमों में मामूली

भिन्नता है।

(छब्बीस) वर्तमान मामलों में, पंजाब राज्य एक हस्तांतरणीय राज्य होने के नाते सरकार को ऊपर उल्लिखित विभिन्न व्यापक रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं के मामले को समय से पहले रिहा करने की सिफारिश करता है

(ग) सरकार ने गुजरात/उत्तर प्रदेश सरकार के उस क्षेत्राधिकार को अधिसूचित किया है जहां से उनका दोषारोपण किया गया है और उस राज्य के न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध और दण्डित किया गया है। जिस राज्य में याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी, वहां की संबंधित सरकार ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिनांक 26.07.2011 (अनुलग्नक पी/एल 3) के आदेश के तहत समयपूर्व रिहाई के दावे को अस्वीकार कर दिया है और याचिकाकर्ता की समयपूर्व रिहाई के संबंध में हस्तांतरणकर्ता राज्य की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन गुजरात के अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर दावे को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि याचिकाकर्ता पंजाब राज्य द्वारा रिहा किए जाने का हकदार है और हरियाणा राज्य ***बनाम*** महेंद्र सिंह और अन्य (1) ***शीर्षक वाले फैसले पर भरोसा किया गया है।***

(सत्ताईस) बेशक, याचिकाकर्ता को कैदियों के स्थानांतरण अधिनियम, 1950 के तहत गुजरात राज्य से पंजाब राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि कौन सी समुचित सरकार है, सजा में छूट की शक्तियों के संबंध में राज्य की कार्यकारी शक्तियों की क्षेत्रीय सीमा से संबंधित संवैधानिक उपबंध का उल्लेख करना उपयुक्त होगा। इस उद्देश्य के लिए संविधान की योजना के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 72 में यह प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति के पास उन सभी मामलों में सजा या सजा की छूट देने की शक्तियां होंगी जहां भारत संघ की शक्ति का विस्तार है। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत, कुछ मामलों में क्षमादान देने, निलंबित करने, छूट देने या सजा कम करने की शक्ति एक राज्य के राज्यपाल में निहित है। संविधान का अनुच्छेद 161 इस प्रकार है:

> ***"161. राज्यपाल की क्षमादान आदि करने की और कुछ दशाओं में दंडादेश के निलंबन, परिहार या समालोचन--***

(अठ्ठाईस) माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***जीवी कॉलेज, 2005 में यह निर्णय लिया था। रमैया*** बनाम ***अधीक्षक। (ख) केन्द्रीय जेल (2) के मामले में,*** माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति मोटे तौर पर उसकी संबंधित विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक और सह-टर्मिनस है।

(एक) 2007 (4) आरसीआर (सीआरएल) 909

(दो) (1974)3 एससीसी 531

(उन्तीस) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में सीआरपीसी) की धारा 432 से 433 ए का संदर्भ लेना भी उचित होगा जो निम्नानुसार है:

> *(चार सौ बत्तीस) दंडादेश निलंबित करने या परिहार करने की शक्ति। (1) जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंड दिया गया है तो समुचित सरकार, किसी भी समय, बिना किसी शर्त के या किन्हीं शर्तों पर, जिसे दण्डादेश दिया गया व्यक्ति स्वीकार करता है, उसके दण्डादेश के निष्पादन को निलम्बित कर सकेगी या दण्ड के सम्पूर्ण या किसी भाग को, जिसके*

लिए उसे दण्डित किया गया है, परिहार कर सकेगी।

(दो) जब कभी किसी दंडादेश के निलम्बन या परिहार के लिए समुचित सरकार को कोई आवेदन किया जाता है तो समुचित सरकार न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह अपनी राय बताए कि क्या आवेदन मंजूर किया जाना चाहिए या अस्वीकृत किया जाना चाहिए, साथ ही ऐसी राय के लिए उसके कारण भी बताए और ऐसी राय के बयान के साथ अभिलेख की प्रमाणित प्रति भी अग्रेषित करे परीक्षण या उसके बारे में इस तरह के टेकॉर्ड के रूप में मौजूद है।

(तीन) यदि कोई शर्त जिस पर कोई सजा निलंबित या माफ की गई है, उपयुक्त सरकार की राय में, पूरी नहीं होती है, तो उपयुक्त सरकार निलंबन या छूट को रद्द कर सकती है, और उसके बाद, जिस व्यक्ति के पक्ष में सजा निलंबित या माफ की गई है, यदि बड़े पैमाने पर, किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और सजा के असमाप्त हिस्से को काटने के लिए रिमांड पर लिया जा सकता है।

(चार) वह शर्त जिस पर इस धारा के अधीन कोई दंडादेश निलम्बित या परिप्रेषित किया जाता है, वह उस व्यक्ति द्वारा पूरी की जा सकेगी जिसके पक्ष में दंडादेश निलम्बित या परिलम्बित किया गया है या वह उसकी इच्छा से स्वतंत्र है।

(पाँच) समुचित सरकार, सामान्य नियमों या विशेष आदेशों द्वारा, दंडादेशों के निलंबन और उन शर्तों के बारे में निर्देश दे सकती है, जिन पर याचिकाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए:

बशर्ते कि अठारह वर्ष से अधिक आयु के पुरुष व्यक्ति को पारित किसी भी सजा (एक सजा के अलावा) के मामले में, सजा दिए गए व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी कोई याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि सजा सुनाई गई व्यक्ति जेल में न हो, और -

(अ) जहां ऐसी याचिका सजा पाए व्यक्ति द्वारा की जाती है, उसे जेल के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है; नहीं तो

(आ) जहां ऐसी याचिका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है, इसमें एक घोषणा होती है कि सजा पाने वाला व्यक्ति जेल में है।

(छः) उपर्युक्त उप-धाराओं के प्रावधान इस संहिता या किसी अन्य कानून की किसी धारा के तहत आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश पर भी लागू होंगे जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता

को प्रतिबंधित करता है या उस पर या उसकी संपत्ति पर कोई दायित्व लगाता है

(सात) इस धारा में और धारा 433 में, अभिव्यक्ति "समुचित सरकार" का अर्थ है -

(अ) ऐसे मामलों में जहां दंडादेश के विरुद्ध अपराध के लिए है या उपधारा (6) में निर्दिष्ट आदेश किसी ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के अधीन पारित किया जाता है, जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, केन्द्रीय सरकार;

(आ) अन्य मामलों में, उस राज्य की सरकार जिसके भीतर अपराधी को सजा दी जाती है या उक्त आदेश पारित किया जाता है।

चार सौ तैंतीस. सजा कम करने की शक्ति। - उपयुक्त सरकार, सजा दिए गए व्यक्ति की सहमति के बिना, -

(अ) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सजा के लिए मौत की सजा;

(आ) आजीवन कारावास की सजा, चौदह वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास या जुर्माने के लिए;

(इ) कठोर कारावास की सजा, किसी भी अवधि के लिए साधारण कारावास के लिए, जिसके लिए उस व्यक्ति को सजा सुनाई गई हो, या जुर्माना के लिए;

(ई) साधारण कारावास की सजा, जुर्माने के लिए।

433-क. कुछ मामलों में परिहार या संराशीकरण की शक्तियों पर निर्बंधन. धारा 432 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जिसके लिए मृत्यु कानून द्वारा उपबंधित दंडों में से एक है, या जहां धारा 433 के तहत किसी व्यक्ति पर दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को जेल से तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कम से कम चौदह साल का कारावास नहीं बिताया हो।

जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सजा सुनाई गई है, तो उपयुक्त सरकार किसी भी समय सजा के पूरे या किसी भी हिस्से को माफ कर सकती है। धारा 432 की उपधारा 7 के खंड (ख) के अनुसार समुचित सरकार का अर्थ है -

"(ख) अन्य मामलों में, उस राज्य की सरकार जिसके भीतर अपराधी को सजा दी गई है या उक्त आदेश पारित किया गया है।

(तीस) इस प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस सरकार में किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है, वही 'उपयुक्त सरकार' है। इस मामले पर मध्य प्रदेश राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया गया था ***/बनाम*** पट्टन सिंह (3), ***और*** राज्य एमआर बनाम अजीत सिंह (4)। रतन सिंह ***के फैसले से प्रासंगिक हिस्सा*** (सुप्रा) नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"6. इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 402 की उपधारा (3) द्वारा स्थिति बिल्कुल स्पष्ट की जाती है जो इस प्रकार चलती है:

"इस धारा में और धारा 401 में, अभिव्यक्ति 'उपयुक्त सरकार' का अर्थ होगा-

(अ) उन मामलों में जहां सजा के खिलाफ अपराध के लिए है, या धारा 401 की उप-धारा (4 ए) में निर्दिष्ट आदेश के तहत पारित किया गया है, किसी भी कानून से संबंधित कोई भी कानून जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, केंद्र सरकार; और

---

(3) (1976)3 एससीसी 470

(4) (1976)3 एससीसी 617

(आ) अन्य मामलों में, राज्य सरकार।"

इस उपबंध के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि समुचित सरकार का निर्धारण करने की परीक्षा उस राज्य का पता लगाने के लिए है जहां अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी और उस राज्य की सरकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अर्थ के भीतर उपयुक्त सरकार होगी। चूंकि इस मामले में कैदी पर मध्य प्रदेश राज्य में विचारण किया गया, दोषसिद्ध किया गया और सजा दी गई, इसलिए मध्य प्रदेश राज्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401(1) के अधीन सजा की माफी के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए समुचित सरकार होगी। यद्यपि वर्तमान मामला पुरानी संहिता द्वारा शासित है, फिर भी हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि नई दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ने मामले को पूरी तरह से किसी भी विवाद से परे रखा है और धारा 432 की उप-धारा (7) में धारा 402 (3) के प्रावधानों को दोहराया है जो इस प्रकार प्रदान करता है:

"(7) इस धारा में और धारा 433 में, अभिव्यक्ति 'उपयुक्त सरकार' का अर्थ है, -

(अ) ऐसे मामलों में जहां दंड किसी अपराध के लिए है या उपधारा (6) में निर्दिष्ट आदेश के अधीन पारित किया जाता है, ऐसे विषय से संबंधित कोई विधि, जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, केन्द्रीय सरकार;

(आ) अन्य मामलों में, उस राज्य की सरकार जिसके भीतर अपराधी को सजा दी जाती है या उक्त आदेश पारित किया जाता है।"

वास्तव में इस खंड को धारा 402(3) के उपबंधों से भौतिक रूप से हटा दिया गया है और स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है।

7. सुरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने भी यह विचार किया है कि समुचित सरकार उस राज्य की सरकार होगी जहां कैदी को दोषसिद्ध और सजा सुनाई गई है। न्यायालय की खंडपीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता और नियमों के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत चर्चा के बाद निम्नानुसार देखा:

> *"हालांकि, यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के तहत सजा की छूट और निलंबन के प्रयोजनों के लिए, विधायिका ने 'उपयुक्त सरकार' की एक अलग परिभाषा अपनाने का इरादा किया था। संक्षेप में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अंतर्गत, दोषसिद्धि राज्य की सरकार इन आजीवन कारावास की शेष सजा को माफ करने के लिए सक्षम नहीं थी, न कि पंजाब सरकार। पंजाब सरकार केवल इतना कर सकती थी कि इन आजीवन कारावास कैदियों के मामलों को समुचित सरकार को अग्रेषित कर दिया जाए ताकि दंड प्रक्रिया संहिता की*

धारा 401 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उनके आजीवन कारावास की शेष अवधि को माफ किया जा सके। पंजाब सरकार ने पहले ही याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दोषसिद्धि के राज्यों की सरकारों को ऐसा संदर्भ दे दिया है। न तो पंजाब सरकार और न ही संबंधित जेल अधीक्षक धारा 401 के तहत उपयुक्त सरकार के आवश्यक आदेश प्राप्त किए बिना पंजाब जेल मैनुअल में निहित किसी भी वैधानिक नियमों के तहत कैदियों को रिहा कर सकते हैं। इसलिए समुचित सरकार के आदेशों की प्राप्ति लंबित होने के कारण याचिकाकर्ताओं की नजरबंदी को किसी भी कारण से अवैध नहीं कहा जा सकता।

हम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।
"

(इक्तीस) उपर्युक्त दोनों मामलों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि स्थानांतरित कैदी की सजा को माफ करने के उद्देश्य से सीआरपीसी की धारा 432 की उप-धारा (7) के अर्थ के भीतर हस्तांतरणकर्ता राज्य की सरकार "उपयुक्त सरकार" होगी, इस तर्क पर कि हस्तांतरणकर्ता राज्य वह राज्य था जिसके भीतर उसे सजा सुनाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ***हनुमंत दास बनाम विनय कुमार*** *(5)* में भी इसी मुद्दे की जांच की, और धारा 432 सीआरपीसी की उपधारा 7 के खंड (बी) के निर्माण के आधार पर ***काफ्तान सिंह के मामले (सुप्रा)*** में विचार अपनाया।

(बत्तीस) 1PC की धारा 55-A उपयुक्त सरकार को निम्नानुसार परिभाषित करती है

"55-ए. "एप्रोप्रिएट सरकार" की परिभाषा।- *अनुभाग में*
55 अभिव्यक्ति "समुचित सरकार" का अर्थ है, -

(अ) ऐसे मामलों में जहां सजा मौत की सजा है या किसी मेलर से संबंधित किसी कानून के खिलाफ अपराध के लिए है, जिसके लिए संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, केंद्र सरकार; और

(आ) ऐसे मामलों में जहां सजा (चाहे मृत्यु की हो या नहीं) किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के खिलाफ अपराध के लिए है, जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, उस राज्य की सरकार जिसके भीतर अपराधी को सजा दी जाती है।"

(तैंतीस) सीआरपीसी की धारा 432 की उप-धारा (7) और भारतीय दंड संहिता की धारा 55 ए को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि "उपयुक्त सरकार" उस राज्य की सरकार है जिसके भीतर अपराधी को सजा दी जाती है।

---

(5) (1982) 2 एससीसी 177

(चौंतीस) उपरोक्त के मद्देनजर, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ताओं की समयपूर्व रिहाई के संबंध में आदेश पारित करने के लिए क्रमशः गुजरात / उत्तर प्रदेश सरकार 'उपयुक्त सरकार' हैं।

(पैंतीस) इस प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

<u>प्रश्न संख्या 221 I (द्वितीय)</u> : क्या उच्च न्यायालय द्वारा समय से पहले रिहाई के लिए याचिका को खारिज करना बाद की याचिकाओं को दायर करने के लिए बार और एस्टॉपेल के रूप में काम करता है?

(एक) 6) प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए विद्वान वकील का तर्क यह है कि चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका को दिनांक 29.10.2009 (अनुलग्नक आर-III) के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता को इस न्यायालय में वर्तमान याचिका दायर करने से रोक दिया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा इस अदालत में समय से पहले रिहाई के लिए दायर की गई लगातार याचिकाएं भी अधिकार क्षेत्र के बिना थीं।

(सैंतीस) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उक्त तर्क का जोरदार विरोध किया।

(अड़तीस) मैंने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए विद्वान वकील के तर्क पर विचार किया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 161 अवशिष्ट संप्रभु शक्ति की प्रकृति का है जो याचिका की अस्वीकृति पर समाप्त नहीं होता। जी ***कृष्ट गौड़ और जे भूमैया*** बनाम ***आंध्र प्रदेश राज्य*** *(6)* में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक दया याचिका की अस्वीकृति राष्ट्रपति या राज्यपाल की शक्ति को समाप्त नहीं करती है। संविधान के प्रावधान बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर राज्यपाल को याचिका पर पुनर्विचार करने से नहीं रोकते हैं। समयपूर्व रिहाई विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत दी गई छूट और संबंधित राज्य/राज्यों, जहां किसी व्यक्ति की सजा हो रही है, के जेल मैनुअल के प्रावधानों के तहत अर्जित छूट, कुछ अवसरों पर सरकार द्वारा पारित समयपूर्व रिहाई का कोई सामान्य आदेश और कैदियों पर उचित समय पर उन आदेशों की प्रयोज्यता और निरंतर अच्छे आचरण जेल में रहते हुए दोषी का। इस शक्ति को हमारे संविधान में अनुच्छेद 161 में मान्यता दी गई है। ***पंजाब राज्य*** बनाम ***जोगिंदर सिंह*** *(7)* ***के मामले में यह माना गया है*** कि यह शक्ति पूर्ण है, निरंकुश है और इसे क़ानून द्वारा कम नहीं किया जा सकता है।

(उन्तालीस) हर बार जब एक दोषी कैदी छूट अर्जित करता है तो कैदी के लिए कार्रवाई का नया कारण उठता है। इसलिए याचिकाकर्ता को समयपूर्व रिहाई के अपने अधिकार के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। हर बार जब समान रूप से स्थित व्यक्ति को छूट दी जाती है तो कार्रवाई का कारण याचिकाकर्ता को प्राप्त होता है। इसका एक आधार समयपूर्व रिहाई के संबंध में उस समय प्रचलित अनुदेशों/नियमों के आलोक में उनके मामले पर विचार न करने में भेदभाव का है। गुजरात सरकार ने ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया है कि याचिकाकर्ता के समान स्थित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। राज्य के विद्वान वकील ने हालांकि स्वीकार किया कि जिन कैदियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उन्हें समय-समय पर गुजरात सरकार द्वारा समय से पहले रिहा किया जा रहा है, लेकिन इस मामले को इस आधार पर अलग करने की कोशिश की थी कि यह टाडा के तहत एक मामला है, ऐसे मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आजीवन कारावास का अर्थ व्यक्ति का प्राकृतिक जीवन है।

---

(6) (1976)1 एससीसी 157

(7) (1990)2 एससीसी 661

(चालीस) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मैं मानता हूं कि एस्टॉपेल का सिद्धांत समयपूर्व रिहाई की आसानी में लागू नहीं होगा क्योंकि समय-समय पर समान रूप से स्थित व्यक्तियों को दी गई क्षमा, प्रतिशोध, राहत या छूट कार्रवाई के नए कारण को जन्म देती है। पहले के आदेश के खिलाफ याचिका को खारिज करना नई याचिका दायर करने के लिए रोक के रूप में काम नहीं करता है और न ही कार्रवाई के नए कारण उत्पन्न होने पर नई याचिका दायर करने के लिए एस्टोपेल के रूप में कार्य करता है।

(इक्तालीस) इस प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

<u>प्रश्न संख्या 221 I (iii):</u> क्या जिस उच्च न्यायालय में कैदी का स्थानांतरण किया जाता है, उसे आपराधिक रिट याचिका पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है?

(बयालीस) गुजरात राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि वर्तमान याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इस उच्च न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता (ओं) पर गुजरात/उत्तर प्रदेश राज्यों के क्षेत्र के भीतर सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया, दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। बाद में उन्हें सजा काटने के लिए नाभा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पहले भी इसी तरह की याचिका गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी।

(तैतालीस) विद्वान राज्य वकील के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं को नाभा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है जहां वे लंबे समय से सजा काट रहे हैं। वे भी पंजाब राज्य के निवासी हैं और रिहा होने के बाद उनके पंजाब राज्य के भीतर रहने की संभावना होती है। चूंकि याचिकाकर्ताओं को पंजाब राज्य के भीतर अधिकतम सुरक्षा जेल, नाभा में बंद किया गया है और पंजाब में याचिकाकर्ता को अस्वीकृति के आदेश से भी अवगत कराया गया है, इसलिए, इस न्यायालय के पास याचिका सुनने का अधिकार क्षेत्र है। स्वतंत्रता का उनका अधिकार शामिल है जिसे वे अपने निवास के क्षेत्र पर सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में लागू कर सकते हैं। इस मामले में दायर पहले की याचिकाओं पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और उन पर मुकदमा चलाया गया है और गुजरात/उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्राधिकार स्वीकार कर लिया है, अन्यथा कार्रवाई का कारण पंजाब राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर याचिका दायर करने वालों के लिए भी उत्पन्न हुआ क्योंकि वे वर्तमान में अधिकतम सुरक्षा जेल, नाभा में बंद हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 इस प्रकार है:-

'226. कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति-(1) अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन सभी राज्यक्षेत्रों में, जिनके संबंध में वह प्रयोग करता है, शक्तियां होंगी

भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा वारंट और उत्प्रेषण, या उनमें से किसी भी प्रकृति की

रिट सहित उपयुक्त मामलों सहित किसी भी व्यक्ति को आदेश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार क्षेत्र, जिसमें उपयुक्त मामलों में, कोई भी सरकार शामिल है, निर्देश, आदेश या रिट, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा वारंट और उत्प्रेषण, या उनमें से कोई भी शामिल है, जारी करने के लिए

(दो) खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निदेश, आदेश या रिट जारी करने के लिए किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करते हुए भी किया जा सकता है, जिनके भीतर कार्रवाई का कारण, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए उत्पन्न होता है, इस बात के बावजूद कि ऐसी सरकार या प्राधिकरण का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास उन राज्यक्षेत्रों के भीतर नहीं है

(तीन) जहां कोई पक्षकार जिसके विरुद्ध कोई अंतरिम आदेश, चाहे निषेधाज्ञा या स्थगन के माध्यम से या किसी अन्य रीति से, खंड (ठ) के अधीन याचिका से संबंधित किसी कार्यवाही में या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में किया जाता है, बिना

(अ) ऐसी याचिका की ऐसी पार्टी प्रतियां और इस तरह के अंतरिम आदेश के लिए याचिका के समर्थन में सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना; और

(आ) ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर देते हुए, ऐसे आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन करता है और ऐसे आवेदन की एक प्रति उस पक्षकार को प्रस्तुत करता है जिसके पक्ष में ऐसा आदेश दिया गया है या ऐसे पक्षकार का वकील है, उच्च न्यायालय आवेदन का निपटान उस तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर करेगा जिस पर यह प्राप्त होता है या उस तारीख से जिस तारीख को ऐसी प्रति होती है आवेदन इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, जो भी बाद में हो, या जहां उच्च न्यायालय उस अवधि के अंतिम दिन बंद है, अगले दिन की समाप्ति से पहले जिस पर उच्च न्यायालय खुला है; और यदि आवेदन का निपटान नहीं किया जाता है, तो अंतरिम आदेश, उस अवधि की समाप्ति पर, या, जैसा भी मामला हो, अगले दिन सहायता की समाप्ति को खाली कर दिया जाएगा।

(चार) अनुच्छेद द्वारा किसी उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति अनुच्छेद 32 के खंड (2) द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगी।

(चवालीस) अनुच्छेद 226(2) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्रवाई का कारण उस उच्च न्यायालय की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर पूर्णत या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है, यह किसी अन्य उच्च न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवासी किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध रिट जारी कर सकेगा।

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता (ओं) के लिए कार्रवाई का कारण आंशिक रूप से पंजाब राज्य के भीतर उत्पन्न हुआ है क्योंकि वे पंजाब राज्य में सजा काट रहे हैं और समय से पहले रिहाई के आदेश भी इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर प्राप्त हुए थे।

(पैंतालीस) इसलिए, यह माना जाता है कि इस न्यायालय के पास इस याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।

(छियालीस) इस प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया गया है

<u>प्रश्न संख्या 221 I (iv)</u> क्या किसी दोषी को रिहा न किया जाना मृत्युदंड, कार्यपालिका द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर परिणामी अतिक्रमण से अधिक बुरा है?

(सत्तालीस) भारत का संविधान विधायिका द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून की व्याख्या में एक मार्गदर्शक सितारा है। विधियों को शून्य के रूप में माना जा सकता है यदि वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हैं और जीवन के मौलिक अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को प्रभावित करते हैं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की मूल भावना है। लॉर्ड चांसलर सैंकी ने एक बार कहा था 'सार्वजनिक जीवन की धाराओं और बदलती रेत के बीच, कानून एक महान सन्दूक की तरह है जिस पर एक आदमी अपना पैर रख सकता है और सुरक्षित रह सकता है[1]. इस टिप्पणी में उन्होंने कानून के महत्व पर जोर दिया है।

(अड़तालीस) अब सवाल यह उठता है कि समाज को सबसे गंभीर अपराध का जवाब कैसे देना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि समाज में किसी व्यक्ति का जीवन एक सतत आपदा बन जाएगा, यदि विनियमित नहीं किया जाता है। मनुष्य ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी कीमत लगाई जा सके; वे अंतर्निहित और अनंत मूल्य वाले प्राणी हैं। उन्हें अपने आप में साध्य के रूप में माना जाना चाहिए, कभी भी केवल अंत के साधन के रूप में नहीं। रिहाई की किसी उम्मीद के बिना कैदी को कैद करना अधिक बर्बर है। यह मौत की सजा का दूसरा रूप है। जेल में पूरे जीवन के लिए शेष की सजा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कथित अपराध के लिए आनुपातिकता के सिद्धांत को संतुष्ट नहीं कर सकती है। हर उम्रकैद की सजा में रिहाई की संभावना शामिल होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के कैटेना को पढ़ने से, जहां जघन्य अपराध के लिए आजीवन कारावास के रूप में सजा का प्रावधान किया गया है, पता चलता है कि कारावास 14 से 35 की सीमा में है

साल। इस तरह के एक निर्धारित कारावास को अधिकांश गंभीर अपराधों के लिए पर्याप्त और आनुपातिक माना जा सकता है। मनुष्य को शेष प्राकृतिक जीवन (आजीवन कारावास) के लिए सलाखों के पीछे जीवित रखना मृत्यु से भी बदतर है।

(उन्चास) गुजरात राज्य के विद्वान वकील इस बात का रत्ती भर भी सबूत नहीं दे पाए कि दोषी अपराधी को दी गई सजा का संभावित अपराधियों के व्यवहार पर कोई निवारक प्रभाव पड़ता है और इस तरह के अपराध करने में काफी कमी आई है। आजीवन कारावास मानव अधिकार और मानव

गरिमा के लिए थोड़ा सम्मान देता है। गुजरात राज्य में लागू बॉम्बे जेल नियमों के अनुसार 14 साल के कुछ अंतराल के बाद आजीवन कारावास की समीक्षा की जानी चाहिए, अन्यथा कारावास क्रूर और असामान्य सजा होगी। अपरिवर्तनीय आजीवन कारावास मानव *अधिकारों की सार्वभौम घोषणा: अनुच्छेद 5 के तहत एक मुद्दा उठाता* है, जिसमें कहा गया है कि *किसी को भी यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या सजा के अधीन नहीं किया जाएगा।* मानवता का आवश्यक मूल यह है कि हर कोई प्रतिदेय है। अनिश्चित कारावास परिवर्तन के लिए इनाम की किसी भी संभावना को हटा देता है और इसलिए, मौलिक रूप से अमानवीय है। मेरे विचार से वास्तविक अर्थों में, कभी भी रिहा नहीं होना मौत की सजा से भी बदतर सजा के बराबर है। इसलिए, इसे क्रूर, बर्बर, अमानवीय और मानवीय गरिमा के खिलाफ कहा जा सकता है। संपूर्ण प्राकृतिक आजीवन कारावास का अर्थ है कैदी को जीवन में न रखना। इसका मतलब है कि वह जेल में मर जाएगा। सभ्य समाज में ऐसी सजा असमर्थनीय है। कैदी को यह एहसास दिलाने के लिए कि दुनिया अब उसके लिए मौजूद नहीं है, वह अब इसका हिस्सा नहीं है, निश्चित रूप से अमानवीय जीवन को जन्म देगा और संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ, इस तरह की कार्रवाई मेरे दिमाग के लिए टिकाऊ नहीं है।

(पचास) मामलों के तथ्यों के प्रकाश में, निम्नलिखित बिंदुओं पर भी विचार करने की आवश्यकता है:

क्या कैदी का जीवन इस लायक है कि छुटकारे की सभी आशाएँ छीन ली जाएँ? क्या उसे दूसरा मौका चाहिए?

(इकावन) रिकॉर्ड पर स्पष्ट सबूत हैं कि याचिकाकर्ता एक सुधरा हुआ व्यक्ति है और उसकी समयपूर्व रिहाई की सिफारिश संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई है

और जेल अधीक्षक। संता ***सिंह*** बनाम ***पंजाब राज्य (8) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने*** सजा की प्रकृति पर निर्णय लेने से पहले विचार किए जाने वाले कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला। ये मुद्दे समय से पहले रिहाई पर विचार करने के लिए समान रूप से प्रासंगिक हैं। निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है:

> *" ... पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई हो, अपराधी की उम्र, रोजगार के रूप में अपराधी का रिकॉर्ड, शिक्षा, गृह जीवन, संयम और सामाजिक समायोजन के संदर्भ में अपराधी की पृष्ठभूमि, अपराधी की भावनात्मक और मानसिक स्थिति, अपराधी के पुनर्वास की संभावनाएं, समुदाय में सामान्य जीवन में अपराधी की वापसी की संभावना, अपराधी के उपचार या प्रशिक्षण की संभावना, संभावना है कि सजा अपराधी या अन्य लोगों द्वारा अपराध के लिए एक निवारक के रूप में काम कर सकती है और वर्तमान समुदाय को विशेष प्रकार के अपराध के संबंध में इस तरह के निवारक के लिए आवश्यकता है।"*

(बावन) याचिकाकर्ता का आचरण कारावास, दोषसिद्धि से पहले और बाद में अनुकरणीय रहा है। जेल अधिकारियों के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कपूरथला, जिनके अधिकार क्षेत्र में याचिकाकर्ता का निवास क्षेत्र आता है, ने उसकी समयपूर्व रिहाई की सिफारिश की है और इन सिफारिशों को गुजरात सरकार को अग्रेषित कर दिया है, इन पर विचार किया जाना आवश्यक है। याचिकाकर्ता सामाजिक रूप से उपयोगी हो गया है और जेल में अन्य सभी कैदियों के लिए बहुत मददगार रहा है। उन्होंने कई तरह से कैदियों की सहायता की है। अन्यथा भी, जाहिरा तौर पर याचिकाकर्ता का आतंकवादी कृत्यों और विघटनकारी गतिविधियों को करने का कोई इरादा नहीं है।

(तिरपन) जेल के साथ-साथ जेल के बाहर भी उसके व्यवहार का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसने 20/21 पैरोल/फरलो का लाभ उठाया है और निर्देशों के अनुसार जेल लौट रहा था। याचिकाकर्ता ने जेल में समय का उपयोग सामाजिक रूप से जिम्मेदार और आर्थिक रूप से उपयोगी व्यक्ति बनने के लिए किया है। पिछले 20 वर्षों से याचिकाकर्ता का व्यवहार दर्शाता है कि पुनरावृत्ति की कोई गुंजाइश नहीं है। सुरंग के अंत में हमेशा ग्लैमर होता है, जहां पहले अंधेरा था। याचिकाकर्ता उस समय भावनात्मक रूप से अपरिपक्व हो सकता है जिसके कारण वह इस तरह के कृत्यों में लिप्त हो सकता है। हिंसा एक सीखा हुआ रोग है, यह

(8) एआईआर 1976 एससी 2386

अनसीखा जा सकता है। याचिकाकर्ता अपने अतीत को महसूस कर रहा है और एक प्रबंधनीय भविष्य की दिशा में अपना काम कर रहा है। कैदियों के प्रति सरकार का सुधारात्मक और पुनर्वास दृष्टिकोण काफी हद तक समय की बर्बादी होगी, जब कैदी कभी बाहर नहीं जाएगा। याचिकाकर्ताओं-कैदियों को मोचन की सभी उम्मीदें हैं और उन्हें मुख्यधारा में आने के लिए दूसरा मौका चाहिए। इसलिए, ऐसे पुनर्गठन और पुनर्वास कार्यक्रम का क्या औचित्य है? अन्यथा, इसका अर्थ होगा राज्य के प्रति उसकी

स्वतंत्रता को हमेशा के लिए जब्त कर लेना। दृष्टिकोण हमेशा ऐसा होना चाहिए कि लाइफर को परिवीक्षा पर रिहा किया जाना चाहिए जब उसे सुरक्षित माना जाता है। यदि उसने एक और अपराध किया तो उसे जीवन भर जारी रखने के लिए जेल में वापस बुला लिया जाएगा। जब एक कैदी को होश आता है कि वह कभी नहीं होगा, तो वह जेल में असामयिक मर सकता है। यह एक जीवित नहीं है, यह सिर्फ अस्तित्व है। जब इस तरह की सोच किसी व्यक्ति के दिमाग में आती है, तो वह क्रोध और घृणा की जलती हुई आग को छोड़कर, अंदर से मृत हो जाता है। वह शेखी बघारने लगता है। ऐसा कैदी पृथ्वी पर नरक महसूस करता है और उसका सामना करता है जिसमें वह न तो रहता है और न ही पैरिश। क्या आजीवन कारावास का यही अर्थ हो सकता है जिसे प्राकृतिक जीवन के कारावास के रूप में माना जाता है? निश्चित रूप से नहीं, मेरी राय में।

(चौवन) भारत के संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल को "क्षमा, दंड की छूट" प्रदान करता है, जो ब्रिटिश क्राउन या अमेरिकी संप्रभु द्वारा आनंद लेने के समान प्रकृति का है। अनुच्छेद 161 के शब्द बहुत व्यापक हैं और इसमें समय के बारे में कोई सीमा नहीं है, जिस पर वह अवसर या जिन परिस्थितियों में अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

(पचपन) उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों के अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 432 और सजा को कम करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 433A उसमें उल्लिखित कुछ मामलों में छूट या कम्यूटेशन के प्रावधानों पर प्रतिबंध लगाती है। धारा 434 मौत की सजा के मामले में केंद्र सरकार को समवर्ती शक्ति प्रदान करती है। धारा 435 में प्रावधान है कि राज्य सरकार की सजा को माफ करने या कम करने की शक्ति, जहां सजा निर्दिष्ट कुछ अपराधों के संबंध में है, केंद्र सरकार के परामर्श के बाद ही राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाएगी।

(छप्पन) आईपीसी की धारा 54 और 55 उपयुक्त सरकार को मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा को उसमें प्रदान किए गए अनुसार कम करने की शक्ति प्रदान करती है।

(सत्तावन) क्षमा शक्ति में अंतर्निहित दर्शन यह है कि "प्रत्येक सभ्य देश उचित मामलों में अनुग्रह और मानवता के कार्य के रूप में प्रयोग की जाने वाली क्षमा शक्ति को पहचानता है, और इसलिए प्रदान करता है। क्षमादान की ऐसी शक्ति के बिना, सरकार के कुछ विभाग या पदाधिकारी द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए, एक देश अपनी राजनीतिक नैतिकता में सबसे अपूर्ण और कमी होगा, और देवता की उस विशेषता में जिनके निर्णय हमेशा दया के साथ छेड़छाड़ करते हैं "[देखें 59अमेरिकी न्यायशास्त्र 2 एड]।

(अठ्ठावन) क्षमा शक्ति के औचित्य को संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध **न्यायमूर्ति** होम्स ने बिडल बनाम पेरोविच (9) के मामले में ***इन शब्दों में***प्रशंसनीय रूप से प्रतिपादित किया है।

> *"हमारे दिनों में क्षमा एक व्यक्ति से अनुग्रह का एक निजी कार्य नहीं है जो शक्ति रखने के लिए हो रहा है। यह संवैधानिक योजना का एक हिस्सा है। जब प्रदान किया जाता है, तो यह अंतिम प्राधिकरण का दृढ़ संकल्प है कि निर्णय जो तय किया गया है उससे कम प्रलोभन देकर सार्वजनिक कल्याण बेहतर होगा" [जोर दिया गया]।*

(उनसठ) केहर सिंह ***बनाम***भारत संघ (10) ***के मामले में***न्यायमूत होम्स की इन टिप्पणियों को हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

(साठ) क्षमा से संबंधित कानून का क्लासिक प्रदर्शन ***एक्स पार्टे फिलिप ग्रॉसमैन (11) में दिया गया है,*** जहां मुख्य न्यायाधीश टैफ्ट ने कहा:

> *"कार्यकारी क्षमादान ऑपरेशन या आपराधिक कानून के प्रवर्तन में अनुचित कठोरता या स्पष्ट गलती से राहत देने के लिए मौजूद है। अदालतों द्वारा न्याय का प्रशासन हमेशा बुद्धिमान या निश्चित रूप से उन मामलों पर विचार नहीं करता है जो अपराध को ठीक से कम कर सकते हैं। एक उपाय को वहन करने के लिए, यह हमेशा लोकप्रिय सरकारों के साथ-साथ राजतंत्रों में भी आवश्यक माना जाता है कि विशेष आपराधिक निर्णयों को सुधारने या उनसे बचने के लिए अदालतों की शक्ति के अलावा किसी अन्य अधिकार में निहित किया जाए।"*

(इकसठ) कुलजीत सिंह बनाम ***दिल्ली के राज्यपाल (12)*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एकपक्षीय ***फिलिप ग्रॉसमैन*** के आदेश ***को अनुमोदित और स्वीकार किया गया था***। वास्तविक व्यवहार में, एक आपराधिक अपील के निपटान में उच्च न्यायालय द्वारा की गई गलती

---

(9) 71 एल एड 1161 1163 पर

(10) 1989 (1) एससीसी 204

(11) 69 एल एड 527

की खोज पर इसी शक्ति के प्रयोग में एक सजा दी गई है, ***[नर सिंह*** बनाम ***उत्तर प्रदेश राज्य (13) देखें।***

(बासठ) पूर्वगामी से यह क्षमा की शक्ति को उभरता है; लगाए गए दंड में अनुचित कठोरता के तत्व की खोज पर छूट का प्रयोग किया जा सकता है।

(तिरसठ) हालांकि, क्षमा का कानूनी प्रभाव मूल सजा के न्यायिक अधिक्रमण से पूरी तरह से अलग है। ***केहर सिंह के मामले*** (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि

> *"अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, "राष्ट्रपति न्यायिक रिकॉर्ड में संशोधन या संशोधन या अधिक्रमण नहीं करता है।... "*
>
> *और ऐसा इसलिए है, इस बात के बावजूद कि राष्ट्रपति अधिनियम का व्यावहारिक प्रभाव अभियुक्त से अपराध के कलंक को दूर करना या उस पर लगाई गई सजा को माफ करना है " [देखें केहर सिंह, 213 पर सुप्रा] । राष्ट्रपति "उस से पूरी तरह से अलग विमान में कार्य करता है जिसमें न्यायालय ने कार्य किया था। वह एक संवैधानिक शक्ति के तहत कार्य करता है, जिसकी प्रकृति न्यायिक शक्ति से पूरी तरह से अलग है और इसे इसका विस्तार नहीं माना जा सकता है।*

(63 ए) इस प्रत्यक्ष असंगति को सदरलैंड जे द्वारा समझाया गया है ***संयुक्त राज्य अमेरिका*** वी। ***बेंज (14)*** इन शब्दों में:

> *"न्यायिक शक्ति और वाक्यों पर कार्यकारी शक्ति आसानी से अलग-अलग हैं। निर्णय देना एक न्यायिक कार्य है। निर्णय को लागू करना एक कार्यकारी कार्य है। क्षमादान के एक अधिनियम द्वारा एक वाक्य को कम करने के लिए कार्यकारी शक्ति का एक अभ्यास है जो निर्णय के प्रवर्तन को कम करता है, लेकिन इसे एक निर्णय के रूप में नहीं बदलता है" [महत्व दिया] [पृष्ठ 358 देखें] ।*

---

(12) (1982) 1 एससीसी 417

(13) एआईआर 1954 एससी 457

(14) 75 एल। एड. 354

(चौंसठ) यूके रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, क्षमा दी जा सकती है जहां गृह सचिव को लगता है कि जूरी के फैसले के बावजूद कैदी के अपराध के बारे में "संदेह की एक झटका" है।

(पैंसठ) न्यायिक निर्णयों, कानूनी पाठ्यपुस्तकों, विधि आयोग की रिपोर्टों, अकादमिक लेखन और प्रशासकों और सार्वजनिक जीवन में लोगों के बयानों से पता चलता है कि क्षमा की शक्ति के प्रयोग के लिए निम्नलिखित विचारों को प्रासंगिक और वैध माना गया है।

कुछ निदर्शी विचार हैं:

(अ) समाज और दोषी का हित;

(आ) कारावास की अवधि और शेष अवधि;

(इ) अपराध की गंभीरता और सापेक्ष हाल ही में;

(ई) कैदी की उम्र और उसकी दीर्घायु की उचित अपेक्षा;

(उ) कैदी का स्वास्थ्य, विशेष रूप से कोई गंभीर बीमारी, जिससे वह पीड़ित हो सकता है;

(ऊ) अच्छा जेल रिकॉर्ड;

(ऋ) स्थायी दृढ़ विश्वास, आचरण, चरित्र और प्रतिष्ठा;

(ऌ) पश्चाताप और प्रायश्चित;

(ऍ) जनमत का सम्मान।

(छियासठ) कभी-कभी यह महसूस किया गया है कि सजा को व्यापक रूप से फैले या मजबूत स्थानीय अभिव्यक्ति के सम्मान में कम करना सही हैजनता की राय, इस आधार पर कि यह सजा को पूरा करने के लिए अच्छे से अधिक नुकसान करेगा यदि परिणाम अपराधी के लिए सहानुभूति और कानून के प्रति शत्रुता पैदा करना था।

(सड़सठ) बर्गेस में उद्धृत हितकारी सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है, *जेसी (1897), यूबीपी 330 (334) कि*:

> *"एलबी जेल में एक आदमी को वास्तव में आवश्यक से अधिक समय तक बंद करना न केवल खुद आदमी के लिए बुरा है, बल्कि यह क्रूरता का एक बेकार टुकड़ा है, आर्थिक रूप से बेकार है और समुदाय को नुकसान का स्रोत है।*

(अड़सठ) संविधान के अनुच्छेद 72 के साथ-साथ अनुच्छेद 161 के तहत भी शक्ति व्यापक आयाम की है और मामलों के असंख्य प्रकारों और श्रेणियों की परिकल्पना करती है जिनमें तथ्यों और स्थितियों के मामले से मामले अलग-अलग होते हैं। 'शक्ति का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर

करता है और उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए औचित्य की आवश्यकता को मामले से मामले में आंका जाना चाहिए। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसा कोई कठोर और व्यापक सिद्धांत अधिकथित करने का प्रयास करना वांछनीय नहीं होगा जिसके आधार पर मृत्यु दंड को कम किया जा सके।

(उनहत्तर) केहर ***सिंह के*** मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति के मनमाने प्रयोग को रोकने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति के प्रयोग को विनियमित करने के लिए एक सेट या दिशानिर्देश तैयार करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि विशिष्ट दिशानिर्देशों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है और कोई भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड दिशानिर्देश निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है।

(सत्तर) हरियाणा राज्य ***बनाम*** महेन्द्र सिंह (15) ***के मामले में*** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों पर विचार किया। फैसले का उद्धरण इस प्रकार है:

> *"28. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A की वैधता या अन्यथा* ***मार्टी पंत बनाम भारत संघ और अन्य 1 (1981) 1 SCC 107] में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए आया*** *था, जिसमें माननीय न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा:*
>
> > *"54. प्रमुख प्रस्तुतियाँ जो उच्च विचार के योग्य हैं, अब ली जा सकती हैं। वे तीन हैं और कैदियों को सलाखों के पीछे से मुक्त करने में उनके परिणाम में महत्वपूर्ण हैं। पहला धारा 433-ए की "संभावना" (शिथिल रूप से तथाकथित) या अन्यथा पर मुड़ता है। हम पहले ही कह चुके हैं कि अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन नहीं किया गया है, लेकिन वर्तमान मुद्दा यह है कि क्या सही निर्माण पर, जिन्हें धारा 433-ए के लागू होने से पहले दोषी ठहराया गया है, वे अनिवार्य सीमा से बंधे हैं। यदि ऐसे दोषी इसके कुंडल से बाहर हैं, तो उनके मामलों को छूट योजनाओं और "लघु-सजा" कानूनों के तहत माना जाना चाहिए। दूसरा*

(15) 2007 (4) आरसीआर (सीआरएल) 909

दलील, "क्षमा न्यायशास्त्र" के इर्द-गिर्द घूमती है, अगर हम इसे मोटे तौर पर इस तरह से कह सकते हैं, जो अनुच्छेद 72 और 161 में अभेद्य रूप से निहित है और उस पर धारा 433-ए का प्रभाव। 71 ई छूट की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है और किसी भी कानून को विफल होना चाहिए जो इसके दायरे को कम करने और इसके यांत्रिकी को कमजोर करने का प्रयास करता है। तीसरा, इस पूर्ण शक्ति के प्रयोग को सरकार, राज्य या केंद्र सरकार की कल्पना, उल्लास या भ्रूभंग पर नहीं छोड़ा जा सकता है, बल्कि तार्किक, प्रासंगिकता और सुधार को गले लगाना चाहिए, जैसा कि एक गणतंत्र में सभी सार्वजनिक शक्ति को करना चाहिए। इस आधार पर, हमें विभिन्न छूट योजनाओं और शॉर्टसिंग परियोजनाओं के उत्तरजीविता मूल्य की जांच और स्क्रीनिंग करनी होगी, न कि धारा 433-ए पर उनकी सर्वोच्चता का परीक्षण करने के लिए, बल्कि चौदह वर्षों की कठिनाई के बिना आजीवन कारावास की सजा को माफ करने के लिए व्यापक और लाभकारी शक्ति को प्रशिक्षित करना होगा।"

उन्तीस. पहले बिंदु के संबंध में, यह माना गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 ए के लागू होने से पहले दोषी ठहराया गया व्यक्ति इसके दायरे से बाहर हो जाता है और उसे प्राप्त होने वाले लाभों का आनंद लेगा।

दूसरे बिंदु के संबंध में, यह माना गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A के सामने झुकना चाहिए।

संविधान पीठ की राय थी कि छूट योजनाएं बेहतर व्यवहार, आंतरिक सुधार और सामाजिक फाइबर के विकास के लिए स्वस्थ प्रेरणा प्रदान करती हैं। इल देखा गया था कि छूट और लघु सजा योजना क्षमा शक्ति के प्रयोग के लिए अच्छे दिशानिर्देशों का प्रावधान करती है, एक अधिकार क्षेत्र का मतलब है कि जितनी बार और यथासंभव व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाए और दुरुपयोग न किया जाए, उतना ही ऐसा करने का प्रलोभन सत्ता के पुरुषों पर दबाव डाल सकता है।

यह भी कहा गया था:

"(10) यद्यपि छूट नियम या शॉर्ट-सेंटेंसिंग पिविशन प्रोप्रियो विगोर धारा 433-ए के खिलाफ लागू नहीं हो सकता है, वे धारा 433-ए को ओवरराइड करेंगे यदि सरकार, केंद्र या राज्य,

अपनी संवैधानिक शक्ति के प्रयोग में स्व-समान नियमों या योजनाओं द्वारा स्वयं का मार्गदर्शन करता है। हम इसे उचित मानते हैं कि जब तक नए नियम एकत्र किए गए अनुभव, वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों और स्वीकृत दंडात्मक सोच को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं- एक वांछनीय कदम, हमारे विचार में - वर्तमान छूट और रिहाई योजनाओं को उपयोगी रूप से अनुच्छेद 72/161 के तहत दिशानिर्देशों के रूप में लिया जा सकता है और रिहाई के आदेश पारित किए जा सकते हैं। हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, यदि कुछ कठोर बर्बर अपराधियों में, धारा 433-ए को स्वयं अनुच्छेद 72/161 के प्रयोग के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में माना जाता है। ये टिप्पणियां' हमारे एक अंतराल से बचने के लिए अनुशंसित हैं, लेकिन यह के लिए है सरकार। केंद्रीय या राज्य, यह तय करने के लिए कि क्या और क्यों वर्तमान छूट नियमों को तब तक जीवित नहीं रहना चाहिए जब तक कि एक अधिक संपूर्ण योजना द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है।"

तीस. फिर भी; में ***साधु सिंह और अन्य वी। पंजाब राज्य,*** 1984(2) आरसीआर (आपराधिक) 83: [(1984)2 एससीसी 310], हालांकि इस न्यायालय ने मारू राम (सुप्रा) में उपरोक्त बाध्यकारी मिसाल पर ध्यान दिया, इस सवाल पर गहराई से विचार किए बिना, जेल मैनुअल के पैराग्राफ 516-13 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, कहा कि इसमें मैं सांविधिक नियम और इस प्रकार, यह राज्य के लिए खुला होगा सरकार इस तरह के कार्यकारी अनुदेश में परिवर्तन या संशोधन करेगी या यहां तक कि वापस लेगी:

"6 ... दूसरे शब्दों में, किसी भी मौजूदा कार्यकारी निर्देश को नए कार्यकारी निर्देश जारी करके प्रतिस्थापित किया जा सकता है के मामलों को संसाधित करनासमय से पहले रिहाई के लिए लाइफर्स लेकिन एक बार जारी किए गए इन्हें समान रूप से और हमेशा लागू किया जाना चाहिए आजीवन कारावास के सभी मामले ताकि भेदभाव के आरोप से बचा जा सके अनुच्छेद 14 के तहत।" विवाद है कि उन दोषियों को जिन्हें सजा सुनाई गई थी मौत लेकिन दया याचिका पर किसकी सजा को कम कर दिया गया है आजीवन कारावास 1976 के निर्देशों द्वारा शासित होगा अस्वीकृत कर दिया गया था। हालांकि, इस अदालत ने दो दोषियों के अधिकार को बरकरार रखा, जिनके मामले 1976 के निर्देशों के मद्देनजर समय से पहले रिहाई के लिए विचार करने के हकदार थे। दुर्भाग्य से,
इस अदालत का ध्यान मारू रेन (सुप्रा) में निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ की ओर आकर्षित नहीं किया गया था।

तीन. । हम देख सकते हैं कि इस न्यायालय द्वारा ***पंजाब राज्य और अन्य बनाम जोगिंदर सिंह और अन्य, जे*** 99 जे (जे) आरसीआर (आपराधिक) 282: [(1990)2 एससीसी 661] में इस प्रश्न पर विचार किया गया है, जिसमें यह आयोजित किया गया था:

"9.... ऐसे मामलों में भी संहिता की धारा 433-ए या 1976 का कार्यकारी निर्देश इस बात पर जोर नहीं देता है कि दोषी अपना शेष जीवन जेल में बिताएगा, बल्कि केवल इस बात पर जोर देता है कि उसने कम से कम 14 साल तक समय की सेवा की हो। अन्य 'लाइफर्स' के मामले में, 1971 के

संशोधन के तहत जोर दिया गया है कि रिहाई से पहले उसे कम से कम 8-1/2 साल की कैद की अवधि होनी चाहिए। 1976 का संशोधन संभवतः संहिता की धारा 433-ए के अनुरूप छूट योजना बनाने के लिए पेश किया गया था। चूंकि धारा 433-ए भावी है, इसलिए 1971 और 1976 के संशोधन भी होंगे।

*** *** *** *** ***

11. इसलिए, हमें इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बनाए रखना मुश्किल लगता है, हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पैराग्राफ 516-13 जहां तक यह 1971 और 1976 के कार्यकारी आदेशों द्वारा संशोधित या संशोधित है, चरित्र में भावी है। "/महत्त्व सन्निविष्ट/

[यह भी देखें ***हरियाणा राज्य और अन्य बनाम राम दिया, 1990 (2) आरसीआर (आपराधिक) 245: 1 (1990)2 एससीसी 701 और राजेंद्र और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, 1995 (3) आरसीआर (आपराधिक) 66: 1 (1995) 5 एससीसी 187 [***

बत्तीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत दोषी के संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए, छूट के लिए विचार किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। यद्यपि किसी भी दोषी को अपनी सजा में छूट प्राप्त करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं कहा जा सकता है, तथापि नीतिगत निर्णय को ध्यान में रखते हुए उसे स्वयं विचार करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह राजमिस्त्री द्वारा

सांविधिक नियम या अन्यथा यदि कोई नीतिगत निर्णय निर्धारित किया गया है, तो जो व्यक्ति उसके दायरे में आते हैं, वे समान व्यवहार के हकदार हैं। ***[मैसूर राज्य और अन्य बनाम एच श्रीनिवासमूर्ति, (1976) जे एससीसी 817]***

अब यह अच्छी तरह से तय है कि कोई भी दिशा-निर्देश जिसका कोई वैधानिक स्वाद नहीं है, केवल सलाह देने की प्रकृति है। उनके पास कानून का बल नहीं हो सकता। वे विधायी ***अधिनियम और वैधानिक नियमों के अधीन हैं। [देखें महाराव साहिब श्री भीत सिंहजी बनाम भारत संघ और अन्य (1981) 1 एससीसी 166, जेआर रघुपति और अन्य बनाम ए आर और अन्य राज्य, (1988) 4 एससीसी 364 और नरेंद्र कुमार माहेश्वरी बनाम भारत संघ, 1990 (सप्प) एससीसी 440]***

तैंतीस. जब कभी कोई नीतिगत निर्णय लिया जाता है, तो व्यक्तियों के साथ उसके संदर्भ में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। [देखें नगर निगम आयुक्त ***निगम, शिमला बनाम प्रेम लता सूद और अन्य, 2007 (3) आरसीआर (सिविल) 249: 2007 (3) आरएजे 253: 2007 (7) स्केल 737]***

चौंतीस. इसके अलावा, यदि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के मद्देनजर हरियाणा राज्य में पंजाब नियम लागू होते हैं, तो कोई भी कार्यकारी निर्देश वैधानिक नियमों पर प्रबल नहीं होगा। इन नियमों में दोषसिद्ध व्यक्तियों को उन शब्दों में परिभाषित किया गया है जिनमें आजीवन कारावास सिद्ध व्यक्ति अपने मामले पर उसमें निर्धारित मानदंडों के भीतर विचार करने का हकदार है, उसे आजीवन दोषसिद्ध शब्द को पुन परिभाषित करके कार्यपालिका के निर्देश के कारण हटाया नहीं जा सकता। यह कहना एक बात है कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले को छूट प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि उन्हें विचार किए जाने का कोई अधिकार नहीं है। विचार किए जाने का अधिकार राज्य के अपने कार्यकारी निर्देशों के साथ-साथ सांविधिक नियमों से भी उद्भूत होता है।

तथापि, श्री मिश्रा द्वारा ***मो. मुन्ना वि. भारत संघ और अन्य*** *[(2005)7* ***एससीसी*** *417]। उस मामले में, अपीलकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि चूंकि उसने 21 साल की कैद काट ली है, इसलिए उसे*

पश्चिम बंगाल जेल संहिता के खंड 751 (सी) और पश्चिम बंगाल सुधार सेवा अधिनियम, 1992 की धारा 6 के प्रावधानों के संबंध में स्वतंत्रता। नुकसान के लिए दावा भी अग्रिम किया गया था। यह उस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में था, इस न्यायालय ने आयोजित किया:

> *"14. जेल नियम जेल अधिनियम के तहत बनाए गए हैं और जेल अधिनियम अपने आप में सजा को कम करने या माफ करने का कोई अधिकार या शक्ति प्रदान नहीं करता है। यह केवल कारागारों के विनियमन और उनमें बंद कैदियों की शर्तों का उपबंध करता है। इसलिए, पश्चिम बंगाल सुधारात्मक सेंडीज़ अधिनियम या पश्चिम बंगाल जेल संहिता याचिकाकर्ता को कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं करती है।"*

उक्त निर्णय में, दुर्भाग्य से, फिर से मारू राम (सुप्रा) पर विचार नहीं किया गया था। किसी भी घटना में, प्रतिवादियों ने अन्य बातों के साथ-साथ नुकसान के भुगतान के लिए प्रार्थना की थी।

पैंतीस. श्री मिश्रा द्वारा एपुरु सुधाकर और अन्य बनाम भारत संघ पर भी भरोसा किया गया था। सरकार, आंध्र प्रदेश और अन्य, (2006) 8 एससीसी 161. उसमें, न्यायालय ने इस प्रकार राय दी है:

> *"65. कार्यकारी क्षमादान का प्रयोग विवेक का विषय है और फिर भी कुछ मानकों के अधीन है। यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है। यह अधिकारी के विधिवत निष्पादन का मामला है। यह राष्ट्रपति या राज्यपाल में निहित है, जैसा भी मामला हो, केवल दोषी के लाभ के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के कल्याण के लिए जो कर्तव्य के प्रदर्शन पर जोर दे सकते हैं। इसलिए, इस विवेक का प्रयोग केवल सार्वजनिक विचारों के आधार पर किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल तथ्यों की पर्याप्तता और क्षमा और प्रतिशोध देने की उपयुक्तता के एकमात्र न्यायाधीश हैं। हालाँकि, यह शक्ति संविधान और इसकी सीमाओं, यदि कोई हो, में एक प्रगणित शक्ति है। संविधान में ही पाया जाना चाहिए, विशेष संज्ञान का सिद्धांत तब लागू नहीं होगा जब और यदि आक्षेपित निर्णय संवैधानिक प्रावधान के अपमान में हो। यह क्षमा, प्रतिशोध, छूट और कम्यूटेशन प्रदान करते समय लागू होने वाला बुनियादी कार्य परीक्षण है।"*

कानून के उक्त प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है। लेकिन यहां हम प्रतिवादियों के छूट के लिए विचार किए जाने के अधिकार से चिंतित हैं न कि जब मामले को अनुदान के लिए लिया जाता है तो मानदंड क्या होना चाहिए। इसलिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय का यह निर्णय सही नहीं हो सकता है कि राज्य के पास कोई वर्गीकरण करने की शक्ति नहीं है। वैध रूप से किया गया वर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करेगा। इस प्रकार, हालांकि हम उच्च न्यायालय के सभी तर्कों से सहमत नहीं हैं, लेकिन यहां बताए गए कारणों के लिए निर्णय को बनाए रखते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि विशेष अवकाश के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 6 और II को पहले ही रिहा करने का निर्देश दिया जा चुका है। इसलिए, उनके मामले में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक अन्य प्रतिवादियों के मामलों का संबंध है, ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है।"

(एकहत्तर) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 मानव जाति का रक्षक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे पोषित और निर्णायक मौलिक मानव अधिकार है जिसके चारों ओर व्यक्ति के अन्य अधिकार घूमते हैं। मौलिक मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने व्याख्या की है कि अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सेलिब्रिटी प्रावधान है और मौलिक अधिकारों के बीच एक अद्वितीय स्थान रखता है। यह नागरिकों और विदेशियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। ***श्रीमती मेनका गांधी*** बनाम ***भारत संघ और अन्य मामले (16)*** में अनुच्छेद 21 की व्याख्या ने जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षितिज के विस्तार के एक नए युग की शुरुआत की है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरण जेल से भी कैदी की स्वतंत्रता पर विचार करने के लिए अधिक प्रासंगिक हैं। ***फ्रांसिस कोराली मुलिन*** बनाम ***प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और अन्य (17) में,*** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा संख्या 7 में निम्नानुसार कहा है:

"…. हम सोचते हैं कि जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है और इसके साथ जो कुछ भी होता है, अर्थात् वह सब कुछ जो इसके साथ जाता है, अर्थात् नंगे ____ जीवन की आवश्यकताएं जैसे पर्याप्त पोषण, कपड़े और आश्रय (16) (1978) 1 एससीसी

248 (17) (1981) 1 एससीसी 608

सिर पर और विभिन्न रूपों में पढ़ने, लिखने और खुद को व्यक्त करने के लिए सुविधाएं, स्वतंत्र रूप से घूमना और साथी मनुष्यों के साथ घुलना-मिलना और मिलना।"

(बहत्तर) इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक संभव तरीके से व्याख्या की

और मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को इसके दायरे में शामिल किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विधिसम्मत कारावास भी सभी मौलिक अधिकारों की विदाई नहीं है। एक कैदी एक स्वतंत्र नागरिक द्वारा प्राप्त सभी अधिकारों को बरकरार रखता है, केवल उन लोगों को छोड़कर जो कारावास की घटना के रूप में आवश्यक रूप से खो गए हैं। ***मेनका गांधी मामले (सुप्रा)*** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया सही, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होनी चाहिए और मनमानी, काल्पनिक और दमनकारी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यह कोई प्रक्रिया नहीं होगी और अनुच्छेद 21 की आवश्यकता संतुष्ट नहीं होगी।

(तिहत्तर) पूर्व सैनिक संघ परिसंघ और अन्य बनाम भारत संघ (18) ***में,*** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अलावा, यह उत्तरदाताओं का कर्तव्य है ~ भारत सरकार संविधान के भाग IV के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना। अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ***एन फ्रांसिस मुलेन के मामले*** (सुप्रा) ने कहा है कि जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है, शोषण से मुक्त। अनुच्छेद 21 में निहित मानवीय गरिमा के साथ जीने का यह अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और विशेष रूप से अनुच्छेद 39 के खंड (ई) और (एफ) तथा अनुच्छेद 41 और 42 से अपनी जीवन सांस लेता है और इसलिए, कम से कम, इसमें श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा शामिल होनी चाहिए। और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, अवसरों और सुविधाओं के खिलाफ निविदा उम्र के बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा, शैक्षिक सुविधाओं, काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों आदि की स्थितियों में रखा गया है।

(चौहत्तर) मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 5 में पाया गया मूल सिद्धांत है: *'किसी को भी यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा* के अधीन नहीं किया जाएगा'।

(पछत्तर) ***हुसैनारा खातून और अन्य*** बनाम गृह ***सचिव, बिहार और अन्य (19), और*** हुसैनारा खातून के अन्य मामलों में

(अठ्ठारह) (2006) 8 एससीसी 399

(उन्नीस) (1995) 5 एससीसी 326

माननीय उच्चतम न्यायालय ने न केवल विचाराधीन कैदियों के पक्ष में कारागार सुधार को आगे बढ़ाया बल्कि त्वरित विचारण के अधिकार को अनुच्छेद 21 का एक अनिवार्य घटक घोषित किया। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के अनुच्छेद 14, खंड (3) (सी) के कार्यान्वयन के लिए मार्ग प्रशस्त करना, जो यह बताता है कि हर कोई "बिना देरी के कोशिश किए जाने" का हकदार है और न्याय प्रशासन में समानता पर मसौदा सिद्धांतों का अनुच्छेद 16 जो प्रदान करता है कि सभी को शीघ्र और शीघ्र सुनवाई के अधिकार की गारंटी दी जाएगी, न्यायालय ने उन सभी विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का निर्देश दिया जिनके खिलाफ पुलिस ने निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया था। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया था क्योंकि अदालत के अनुसार, ऐसे विचाराधीन कैदियों की आगे हिरासत अनुच्छेद 21 का स्पष्ट उल्लंघन होगी।

(छिहत्तर) सुनील बत्रा ***बनाम*** दिल्ली प्रशासन (19***) मामले में*** सुप्रीम कोर्ट ने आईसीसीपीआर के अनुच्छेद 10 पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया है कि उनकी स्वतंत्रता से वंचित सभी व्यक्तियों के साथ मानवता के साथ और मानव व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा के सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने इस प्रकार कहा:

> *"राज्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित कैदियों के उपचार के लिए मानक न्यूनतम नियमों को बनाए रखने के लिए कदम उठाएगा, विशेष रूप से काम और मजदूरी, गरिमा के साथ व्यवहार, सामुदायिक संपर्क और सुधारात्मक रणनीतियों से संबंधित। इस बाद के पहलू में, व्यक्तित्व के समग्र विकास के बारे में हमने जो टिप्पणियां की हैं, उन्हें ध्यान में रखा जाएगा।*
> "

और आगे जोर दिया कि

> *संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा से सभी व्यक्तियों की सुरक्षा की घोषणा हमारे निर्णय के लिए प्रासंगिक है।*

(सतहत्तर) इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधीश को विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्दों के अनुसार कानून की व्याख्या करनी होती है। लेकिन, जैसा कि *श्री जस्टिस होम्स ने बताया: "एक शब्द एक क्रिस्टल, पारदर्शी और अपरिवर्तित नहीं है; यह एक जीवित विचार का कंकाल है और परिस्थितियों और समय के अनुसार रंग और सामग्री में बहुत भिन्न हो सकता है (*20) (1980) 3 एससीसी 488

*जिसका उपयोग किया जाता है।*उन्होंने कहा, 'विधायिका ने जो कहा है, अदालत उसे अर्थ देती है. यह व्याख्या की प्रक्रिया है जो न्यायालय का सबसे रचनात्मक और रोमांचकारी कार्य है। संवैधानिक न्यायालय को लगातार नए नियमों का आविष्कार करने की आवश्यकता होती है ताकि आवर्ती स्थितियों को अधिक न्यायसंगत रूप से संभाला जा सके जो कानून ने पूरी तरह से प्रत्याशित नहीं किया है। ऐसा करने में, न्यायालय

कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेता है- जिसे श्री ***जस्टिस होम्स*** ने "अंतरालीय कानून" *कहा था।*

(अठहत्तर) न्यायालय को 'नीच और खोए हुए' लोगों को न्याय दिलाने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचना आवश्यक है। ***लॉर्ड हेवर्ट*** ने निम्नानुसार जोर दिया है:

> *"यह ... मौलिक महत्व का है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि प्रकट रूप से और निस्संदेह किया जाना चाहिए।*

(उन्नासी) संवैधानिक न्यायालय का कार्य केवल कानून की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि इसे "रचनात्मक संवैधानिक विकास" के रूप में सामाजिक न्याय के लिए संविधान के जुनून को कल्पनाशील रूप से साझा करना है।

(अस्सी) कानून या संविधान की व्याख्या करते समय न्यायालय केवल शब्दों के शाब्दिक अर्थ को प्रभावी नहीं करते हैं, बल्कि उस क़ानून या संविधान की भावना के अनुरूप इसके प्रावधानों की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं।

(इक्यासी) राजेंद्र प्रसाद ***बनाम*** उत्तर प्रदेश राज्य (21) ***के मामले में, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर*** ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

> *"जब विधायी पाठ आत्म-अभिनय करने के लिए बहुत गंजा है या कार्रवाई में ज़िगज़ैग विकृति से ग्रस्त है, तो प्राथमिक दायित्व संसद पर है कि वह एस 302 जे पीसी में उचित संशोधनों द्वारा आवश्यक खंडों को लागू करे। लेकिन अगर विधायी अंडरटेकिंग दृष्टि में नहीं है, तो जिन न्यायाधीशों को संहिता को लागू करना है, वे अपने पेशेवर हाथों को मोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन पूरक सिद्धांतों के विकास से प्रावधान को व्यवहार्य बनाना चाहिए, भले ही यह कानून बनाने का स्वाद प्रतीत हो। लॉर्ड डेन्निंग्स की टिप्पणियां उचित हैं: "इंग्लैंड के कई न्यायाधीशों ने कहा है कि वे कानून नहीं बनाते हैं। वे केवल इसकी व्याख्या करते हैं। यह एक भ्रम है जिसे उन्होंने बढ़ावा दिया है। लेकिन यह एक धारणा है जो अब है*

(इक्कीस) (1979)3 एससीसी 646

हर जगह स्थान दिया जा रहा है। हर नया निर्णय - हर नई स्थिति पर - कानून का विकास है। कानून स्थिर नहीं रहता। यह लगातार चलता रहता है। एक बार जब इसे मान्यता मिल जाती है, तो न्यायाधीश के कार्य को एक उच्च स्तर पर रखा जाता है। एले को सचेत रूप से कानून को ढालने की कोशिश करनी चाहिए ताकि समय की जरूरतों को पूरा किया जा सके। वह एक मात्र मैकेनिक नहीं होना चाहिए, एक मात्र काम करने वाला राजमिस्त्री, ईंट पर ईंट बिछाने, समग्र डिजाइन के बारे में सोचे बिना। उसे एक वास्तुकार होना चाहिए - संरचना को समग्र रूप से सोचना, समाज के लिए कानून की एक प्रणाली का निर्माण करना जो मजबूत, टिकाऊ और न्यायपूर्ण हो। यह उनके काम पर है कि सभ्य समाज खुद निर्भर करता है। "

(81क) चार्ल्स शोबराज ***बनाम*** अधीक्षक केन्द्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली ***के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने (22)*** ने टिप्पणी की है।

".... अनुच्छेद 19 (1) (डी) और (5) के साथ पढ़ा जाने वाला अनुच्छेद 21 शाही शरारत की तुलना में व्यापक अनुप्रयोग में सक्षम है जो इसे जन्म देता है और इसका अर्थ शालीनता और गरिमा के विकसित मानकों से आकर्षित करना चाहिए जो एक परिपक्व समाज की प्रगति को चिह्नित करते हैं... "

(बयासी) उपरोक्त चर्चाओं, तथ्यों और मामलों की परिस्थितियों के आलोक में, गुजरात सरकार के वकील के तर्क कि आजीवन कारावास का अर्थ है कि कैदी का प्राकृतिक जीवन संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों के प्रावधानों के खिलाफ है और याचिकाकर्ताओं की समय से पहले रिहाई को अस्वीकार करने की शक्ति का मनमाना प्रयोग होगा। मुळो कोई संदेह नहीं है कि किसी दोषी-कैदी को अनिश्चित काल तक आजीवन कारावास और रिहा न किया जाना मृत्युदंड की सजा से भी बदतर है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यपालिका द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण किया जाता है। एक बर्बर अपराध को बर्बर दंड के साथ पूरा नहीं किया जाना चाहिए जो उस व्यक्ति के मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है जो महसूस कर सकता है कि वह कभी भी जेल से बाहर नहीं होगा। जिन अपराधों में आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है, उनके संबंध में कारावास की उचित निर्धारण अवधि एक आवश्यकता है और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक दंड निर्धारित करने के लिए उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता है। इस न्यायालय को लगता है कि यह विधायिका का प्राथमिक दायित्व है कि वह उन मामलों में आवश्यक संशोधन करे जहां उम्रकैद का प्रावधान किया जाता है ताकि दोषी/कैदी को यह पता चल सके कि उसे जेल में कितनी अवधि काटनी है।

अन्यथा, सुधारात्मक, पुनर्वास और सुधारात्मक प्रणाली का दृष्टिकोण केवल एक निरर्थक कार्य होगा। अन्यथा भी, किसी कैदी को सलाखों के पीछे रखना राज्य के राजकोष पर एक वित्तीय बोझ है और इस कारण से

(22) (1978) 4 एससीसी 104

संशोधन करके कुछ निर्धारित दंड निर्धारित करना अनिवार्य है।

(तिरासी) इस प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

<u>प्रश्न संख्या 221 I (वीयू क्या आदेश दिनांक 26.07,20] I (अनुलग्नक P/l 3)</u> न्यायिक समीक्षा के अधीन है और मनमाना, सनकी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के खिलाफ है?

(चौरासी) यह अच्छी तरह से तय है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा क्षमादान शक्ति का प्रयोग या गैर-प्रयोग न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षा नहीं है। कुछ मामलों में सीमित न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है।

(पचासी) मारू राम (सुप्रा) के ***मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय*** ने माना कि संवैधानिक शक्ति सहित सभी सार्वजनिक शक्ति, कभी भी मनमाने ढंग से या दुर्भावनापूर्ण रूप से प्रयोग करने योग्य नहीं होगी और आमतौर पर, निष्पक्ष और समान निष्पादन के लिए दिशा-निर्देश शक्ति के वैध खेल के गारंटर हैं, [पृष्ठ 147, पैरा 62 देखें]

(छियासी) उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***केहर सिंह की गाय में***क्या कहा है ? (सुप्रा) ने अटॉर्नी जनरल के इस तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया कि क्षमा की शक्ति का प्रयोग राजनीतिक विचार के लिए किया जा सकता है (देखें केहर सिंह, पैरा 12)। ***मारू रानी के मामले*** (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि धर्म, जाति, रंग या राजनीतिक वफादारी का विचार पूरी तरह से प्रासंगिक और भेदभाव से भरा है [मारू**राम सुप्रा,** पैरा 65 देखें]।

(सत्तासी) केहर सिंह के मामले ***में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने*** फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति के आदेश को उसके गुणों के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि ***वोमारू राम बनाम भारत संघ*** (सुप्रा) को परिभाषित सख्त सीमाओं के भीतर। यह निर्धारित करने का कार्य कि क्या संवैधानिक या वैधानिक पदाधिकारी का कार्य शक्ति प्रदान करने के संवैधानिक या विधायी अधिकार के भीतर आता है, या शक्ति के पूर्ण आयाम की गलत सराहना पर आत्म-इनकार से दूषित होता है, अदालत के लिए विचार किया जाने वाला मामला है, [पृष्ठ 214, पैरा 11 देखें]

(अठ्ठासी) भारत संघ नेकेहर ***सिंह के मामले***में, शक्तियों के विभाजन (पृथक्करण) के सिद्धांत पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि न्यायपालिका के लिए "दया" शक्ति के प्रयोग की जांच करने के लिए खुला नहीं था [पृष्ठ 216 देखें], माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति के क्षेत्र के बारे में प्रश्न न्यायिक डोमेन के भीतर आता है और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से अदालत द्वारा इसकी जांच की जा सकती है [देखें पैरा 14, पृष्ठ 217]।

(नवासी) जहां तक केहर सिंह के मामले में ***क्षमा/क्षमा के लिए याचिका पर लागू किए जाने वाले विचारों का संबंध*** है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> *"जहां तक राष्ट्रपति द्वारा याचिका पर लागू किए जाने वाले विचारों का संबंध है, हमें और कुछ नहीं कहने की आवश्यकता है क्योंकि इस संबंध में कानून पहले ही मारू पाम मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा चुका है।*

(नब्बे) स्वर्ण सिंह बनाम ***उत्तर प्रदेश राज्य*** *(23*) के मामले में , ***मारू राम और कचर सिंह के मामलों में निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:***

> *"हम तीसरे प्रतिवादी के विद्वान वकील के कठोर तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि इस न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल द्वारा पारित आदेश को छूने की कोई शक्ति नहीं है। यदि इस तरह की शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से, दुर्भावनापूर्ण रूप से या संवैधानिकता के बारीक सिद्धांतों की पूर्ण अवहेलना में किया गया था, तो उप-उत्पाद आदेश को कानून की मंजूरी नहीं मिल सकती है और ऐसे मामलों में, न्यायिक हाथ बढ़ाया जाना चाहिए।" [पृष्ठ 79, पैरा 12 देखें]*

(इक्यानवे) ^w/wi ***सिंह के*** मामले (सुप्रा) में एक दूध नाथ को जोगिंदर सिंह की हत्या का दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय में उनकी अपील और सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका असफल रही। हालांकि, 2 साल से कम की अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने अपने जीवन की सजा की शेष लंबी अवधि की माफी प्रदान की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल के उक्त आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि जब राज्यपाल को भौतिक तथ्यों के साथ तैनात नहीं किया गया था, तो राज्यपाल स्पष्ट रूप से अवसर से वंचित थे

---

(23) (1998) 4 एससीसी 75

शक्तियों का निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से प्रयोग करना। इसके विपरीत, आक्षेपित आदेश "मनमानेपन पर फ्रिंज" [धारा पृष्ठ 79, पैरा 13],

(बानवे) न्यायालय ने कहा कि यदि क्षमा शक्ति का प्रयोग "मनमाने ढंग से, दुर्भावनापूर्ण रूप से या संवैधानिकता के बारीक सिद्धांतों की पूर्ण अवहेलना में किया गया था, तो उप-उत्पाद आदेश को कानून की मंजूरी नहीं मिल सकती है और ऐसे मामलों में, न्यायिक हाथ बढ़ाया जाना चाहिए" [सेक स्वर्ण सिंह, पृष्ठ 79]।

(तिरानवे) न्यायालय ने आगे कहा कि जब इन कार्यवाहियों में राज्यपाल के आदेश को चुनौती दी जाती है, तो यह "मारू राम मामले" में निर्धारित सख्त मापदंडों के भीतर न्यायिक समीक्षा के अधीन है और "केहर सिंह मामले" में दोहराया गया है: "हमें लगता है कि राज्यपाल उन सामग्रियों के प्रकाश में दूध नाथ की याचिका पर पुनर्विचार करेंगे जिन्हें उन्हें पहले जानने का कोई अवसर नहीं था। [पृष्ठ 79 देखें] और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में एक नया आदेश पारित करने के लिए इसे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पर छोड़ दिया, [पृष्ठ 80 देखें]

(चौरानवे) सतपा I ***बनाम*** हरियाणा राज्य (24***) के मामले*** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति बहुत व्यापक है और इसमें उस समय और किस अवसर पर और किन परिस्थितियों में उक्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके बाद न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया

> *"संविधान द्वारा राज्यपाल को प्रदत्त एक संवैधानिक शक्ति होने के नाते उक्त शक्ति कुछ सीमित आधारों पर न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत शक्ति के प्रयोग में राज्यपाल द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायसंगत होगा यदि राज्यपाल ने सरकार द्वारा सलाह दिए बिना स्वयं शक्ति का प्रयोग किया है या यदि राज्यपाल उसी का प्रयोग करने में अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है या यह स्थापित है (राज्यपाल ने बिना दिमाग लगाए आदेश पारित किया है या विचाराधीन आदेश माला है किसी या राज्यपाल ने किसी बाहरी विचार के आधार पर आदेश पारित किया है।" एफएसई पेज 174/*

(24) 2000 (5) एससीसी 170

(पछानवे) क्षमादान शक्ति पर न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों को ***बिकास चटर्जी*** बनाम ***भारत संघ*** *(25)* ***के मामले में दोहराया गया है।***

(छ्यानवे) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश की न्यायिक समीक्षा, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध है और उनके आदेशों को निम्नलिखित आधारों पर लागू किया जा सकता है:

(अ) कि आदेश बिना दिमाग लगाए पारित किया गया है;

(आ) कि आदेश दुर्भावनापूर्ण है;

(इ) आदेश बाहरी या पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों पर पारित किया गया है;

(ई) कि आदेश में मनमानी की गई है

(सत्तानवे) माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***एआर सरकार*** बनाम ***एमटी खान*** *(26)* में अपने निर्णय में कहा कि यदि सरकार यह समीचीन समझती है कि कैदियों की एक विशेष श्रेणी के संबंध में क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया जाए तो सरकार को ऐसा करने की पूरी स्वतंत्रता है और कैदियों की कुछ श्रेणी को बाहर करने के लिए भी जिसे बाहर करना उचित लगता है। न्यायालय ने आगे कहा कि "किसी दिए गए मामले या मामलों के वर्ग के लिए क्षमादान का लाभ देना नीति का विषय है और इसे एक या कुछ के लिए करने के लिए, उन्हें इसे सभी के लिए करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि कोई कपटी भेदभाव शामिल न हो" [महत्व दिया गया] [पृष्ठ 622, पैरा 6 देखें]।

(अठ्ठानवे) अब पूर्वोक्त चर्चा के आलोक में छूट की शक्ति के संबंध में न्यायिक समीक्षा के दायरे पर विचार करना उचित होगा।

(निन्यानवे) मारू रेंट बनाम भारत संघ (सुप्रा) और ***केहर सिंह बनाम भारत संघ*** (सुप्रा) ***में यह आधिकारिक रूप से निर्धारित किया गया*** है कि अनुच्छेद 161 के तहत एक कार्यकारी निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। इस स्थापित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक विधि सिद्धांत अनुच्छेद 161 के अधीन शक्तियों के प्रयोग पर लागू होते हैं . छूट की शक्ति का प्रयोग

(पच्चीस) 2004 (7) एससीसी 634 637 पर

(छब्बीस) 2004 (I) एससीसी 616

क्षमा की शक्ति के प्रयोग के रूप में उसी हद तक और तरीके से न्यायिक समीक्षा के अधीन है। छूट के लिए विचार क्षमा से अलग नहीं हैं। इसलिए, विद्वान राज्य के वकील का तर्क कि विभिन्न विचारों को लागू किया

जाना चाहिए, भ्रामक है और संवैधानिक प्रावधानों के असंगत अनुप्रयोग को जन्म देगा। अनुच्छेद 161 कर्तव्य और दायित्व के साथ एक शक्ति या विवेक प्रदान करता है। लोक कल्याण और दोषी का कल्याण अनुदान और गैर-अनुदान दोनों के प्रयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। कुछ मामलों में लोक कल्याण और दोषी के कल्याण के लिए आवश्यक है, बल्कि यह आवश्यक है कि छूट दी जाए, छूट न देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 में निहित कर्तव्य और दायित्व को पूरा करने में विफलता के समान होगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि यदि कोई कैदी कारावास की सजा काट चुका है, अधिक उम्र का है और गंभीर बीमारी से पीड़ित है और कोई भी सामग्री नहीं है, कि यदि इस कैदी को रिहा कर दिया जाता है, तो वह समाज के लिए खतरा होगा, तो ऐसे मामले में, छूट न देना अनुच्छेद 161 के तहत कर्तव्य और दायित्व निभाने में विफलता होगी। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब किसी लोक प्राधिकारी को कोई क्षमता अथवा शक्ति प्रदान की जाती है तो उक्त प्राधिकारी न्याय, निष्पक्षता और निश्चितता के मूल सिद्धांतों के अनुरूप शक्ति का प्रयोग करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

(एक सौ) किसी दिए गए आसानी में, सरकार छूट प्रदान नहीं कर सकती है, हालांकि यह कुछ कारणों से अत्यधिक आवश्यक है। छूट की शक्ति का प्रयोग न करना और शक्ति का अनुचित प्रयोग न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षा नहीं है।

(एक सौ एक) अब, यह देखा जाना चाहिए कि क्या दिनांक 26.07.2011 (अनुबंध पी/13) का आक्षेपित आदेश सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून द्वारा तय की गई आवश्यकताओं को पूरा करता है। सजा की समीक्षा के संबंध में बॉम्बे जेल नियमों और पंजाब जेल मैनुअल के प्रावधान लगभग समान हैं। बॉम्बे जेल नियमों के नियम 1446 के अनुसार, 14 साल से अधिक कारावास या परिवहन की सजा पाए सभी कैदियों को जेल महानिरीक्षक को सूचित किया जाना चाहिए। नियम 1448 के तहत सलाहकार समिति का गठन किया जाना है। यही हाल पंजाब जेल मैनुअल का भी है।

(एक सौ दो) बॉम्बे जेल नियम के साथ-साथ पंजाब जेल मैनुअल के नियमों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता की आसानी पर विचार किया जाना आवश्यक है। वस्तुतः दोनों के योग और पदार्थ के बीच कोई अंतर नहीं है

समयपूर्व रिहाई के मामले पर विचार करने के संबंध में नियम और मैनुअल। गुजरात राज्य ने याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कपूरथला के साथ-साथ अधीक्षक अधिकतम सुरक्षा जेल, नाभा, जहां याचिकाकर्ता सजा काट रहा है, की रिपोर्टों पर विचार नहीं किया है। ऐसी रिपोर्टों को खारिज करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। आदेश में यह भी दर्ज नहीं किया गया है कि गुजरात की सलाहकार समिति याचिकाकर्ता की समय पूर्व रिहाई के मामले की सिफारिश नहीं करने के लिए कैसे निष्कर्ष पर पहुंची है। इस न्यायालय के समक्ष हस्तांतरणकर्ता राज्य यानी पंजाब सरकार की सिफारिशों को अस्वीकार करने के लिए कोई सबूत या सामग्री नहीं रखी गई है। मामले की अस्वीकृति और अन्तरिती राज्य की सिफारिशों के लिए कारणों को दर्ज किया जाना अपेक्षित है। आदेश में कारणों को भी दर्ज करना आवश्यक है कि क्या वह एक सुधारित व्यक्ति है। याचिकाकर्ता 20 साल से अधिक समय से कभी भी गुजरात के संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट और जिला अधीक्षक के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा था, उनकी रिपोर्ट हस्तांतरणकर्ता राज्य की रिपोर्टों से कैसे आगे निकल सकती है। पंजाब राज्य की सिफारिशों को अस्वीकार करने के लिए याचिकाकर्ता को कारण बताने के दायित्व की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि अस्वीकृति के आदेश पारित करने के लिए वैध और प्रासंगिक कारण नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, पेपर बुक पर ऐसी कोई सामग्री नहीं रखी गई है और न ही अदालत को कोई रिकॉर्ड दिखाया गया है जिसने याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने का आधार बनाया था। कारणों की आपूर्ति करने का दायित्व पूरी तरह से अलग है ताकि न्यायालय को कार्रवाई के कारण के बारे में अवगत कराया जा सके जब उसे अदालत में चुनौती दी जाती है। इस पहलू पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***एसआर रोनिताई*** *बनाम* ***भारत संघ*** *(27)* ***के मामले में,*** संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में, पृष्ठ 109, पैरा (जी) और (एच) पर और पृष्ठ 110 पर, निर्णय के पैरा (ए) निम्नानुसार पढ़ता है:

> *"जब उद्घोषणा को इसकी अमान्यता के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला बनाकर चुनौती दी जाती है, तो केंद्र सरकार पर यह संतुष्ट करने का भार होगा कि ऐसी सामग्री मौजूद है जो दर्शाती है कि सरकार को संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। चूंकि ऐसी सामग्री विशेष रूप से संघ सरकार की जानकारी में होगी, इसलिए धारा जे 06 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए।*
>
> *साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, ऐसी सामग्री के अस्तित्व को साबित करने का भार केंद्र सरकार पर होगा।" एफ. आर. ई.]*

(एक सौ तीन) यदि सरकार आक्षेपित कार्रवाई के कारणों या सामग्री का खुलासा नहीं करने का विकल्प चुनती है, तो स्थिति लॉर्ड अपजॉन के शब्दों में ***पैडफ्ल एल्ड और अन्य बनाम कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य मंत्री और अन्य*** *(28)* ***में ऐतिहासिक निर्णय में बताई गई थी।***

---

(27) (1994) 3 एससीसी 1

यदि वह अपने निर्णय के लिए कोई कारण नहीं देता है, तो यह हो सकता है, यदि परिस्थितियां इसे वारंट करती हैं, तो अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए स्वतंत्र हो सकती है कि उसके पास उस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई अच्छा कारण नहीं था।"

(एक सौ चार) यही दृष्टिकोण लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रुस्तम एस. सिधवा द्वारा ***मुहम्मद शरीफ बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पीएलडी (29) में अपनाया गया था,*** जहां विद्वान न्यायाधीश ने पृष्ठ 775, पैरा 13 में निम्नानुसार टिप्पणी की थी:

"7 को इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों सरकारें अनुच्छेद 58 (2) (बी) और 1) 2 (2) (बी) के तहत विधानसभाओं को भंग करते समय उनके सभी कारणों का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं हैं। यदि वे सभी सामग्री का खुलासा नहीं करना चुनते हैं, लेकिन केवल कुछ, यह उनका कबूतर है, क्योंकि मामले का फैसला अदालत के समक्ष रखी गई सीमित सामग्री की न्यायिक जांच पर किया जाएगा और यदि यह पूरी तरह से अप्रासंगिक या बाहरी होता है, तो उन्हें भुगतना होगा। " /महत्त्व दिया गया],

(एक सौ पाँच) न्यायमूर्ति सिधवा की उपरोक्त टिप्पणियों को एस.आर. बोम्मई, सुप्रा ***में पृष्ठ 98 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खारिज कर दिया गया*** है। पैरा (घ - (छ)।

(एक सौ छः) गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने ***वामुजो*** बनाम ***भारत संघ (30) के मामले में,*** पृष्ठ पर न्यायमूर्ति सिधवा के दृष्टिकोण को अपनाया। 517. विद्वान न्यायाधीश ने भारत सरकार को उन सामग्रियों के बारे में न्यायालय को सूचित करने का समय दिया, जिन पर राष्ट्रपति की उद्घोषणा

(अठ्ठाईस) (1968) 1 पृष्ठ 719 पर सभी एच आर 694

(उन्तीस) 1988 लाह 725

(तीस) 1988 गौहाटी लॉ जर्नल 468

नागालैंड राज्य के मामले में अनुच्छेद 356 के तहत पारित किया गया था। पृष्ठ 517 पर पैरा 47 का संगत भाग निम्नानुसार है:

[11] इस काम के लिए हम दस दिन का चूना देते हैं। यदि इस अवधि के भीतर वे सामग्री का उत्पादन करने में विफल रहेंगे तो हमें उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर अपनी राय प्रस्तुत करनी होगी। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो इस न्यायालय के पास अपने समक्ष रखी गई सामग्रियों के आधार पर मामले का फैसला करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। इस संबंध में लाहौर उच्च न्यायालय [मुहम्मद शरीफ बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पीएलडी 1988 लाह 725] के पूर्वोक्त मामले में रुस्तम सिधवा जे द्वारा निर्धारित किया गया था,

(एक सौ सात) गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उपरोक्त दृष्टिकोण को एसआर बोम्मई, सुप्रा ***में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।***

(एक सौ आठ) वर्तमान मामलों के आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कथित तथाकथित खालिस्तान आंदोलन देश में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, मैं प्रथम दृष्टया संतुष्ट हूं कि आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, जिस पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। सरकारें कारण बताने या कारण बताने में विफल रहीं, जिसके आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किए गए हैं। न्यायिक समीक्षा न्यायालय की शक्ति, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, को समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज करने के निष्कर्ष पर आने के कारण का खुलासा न करके अक्षम नहीं किया जा सकता है।

(एक सौ नौ) इस प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

(एक सौ दस) उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, मैं दोनों याचिकाओं को अनुमति देता हूं। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 (दोनों आपराधिक रिट याचिकाओं में) को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रत्येक याचिकाकर्ता के मामले पर 1 अक्टूबर, 2012 तक पुनर्विचार करें और कानून के अनुसार उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में नया निर्णय लें। इस बीच, दोनों आपराधिक रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को संबंधित जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये की राशि के लिए व्यक्तिगत बंधन/जमानत बांड प्रस्तुत करने पर तीन महीने की अवधि के लिए पैरोल पर तुरंत रिहा कर दिया जाएगा और अनुपालन रिपोर्ट इस न्यायालय को भेजी जाएगी।

एम. जैन

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मयंक गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चरखी दादरी, हरियाणा